

अहबार

भस्म होनेवाली कुरबानी

- 1 रब ने मुलाकात के खैमे में से मूसा को बुलाकर कहा
- 2 कि इसराईलियों को इतला दे,
“अगर तुममें से कोई रब को कुरबानी पेश करना चाहे तो वह अपने गाय-बैलों या भेड़-बकरियों में से जानवर चुन ले।
- 3 अगर वह अपने गाय-बैलों में से भस्म होनेवाली कुरबानी चढ़ाना चाहे तो वह बेऐब बैल चुनकर उसे मुलाकात के खैमे के दरवाजे पर पेश करे ताकि रब उसे कबूल करे।
- 4 कुरबानी पेश करनेवाला अपना हाथ जानवर के सर पर रखे तो यह कुरबानी मकबूल होकर उसका कफ़ारा देगी।
- 5 कुरबानी पेश करनेवाला बैल को वहाँ रब के सामने ज़बह करे। फिर हास्न के बेटे जो इमाम हैं उसका खून रब को पेश करके उसे दरवाजे पर की कुरबानगाह के चार पहलुओं पर छिड़कें।
- 6 इसके बाद कुरबानी पेश करनेवाला खाल उतारकर जानवर के टुकड़े टुकड़े करे।
- 7 इमाम कुरबानगाह पर आग लगाकर उस पर तरतीब से लकड़ियाँ चुनें।
- 8 उस पर वह जानवर के टुकड़े सर और चरबी समेत रखें।
- 9 लाज़िम है कि कुरबानी पेश करनेवाला पहले जानवर की अंतड़ियाँ और पिंडलियाँ धोए, फिर इमाम पूरे जानवर को कुरबानगाह पर जला दे। इस जलनेवाली कुरबानी की खुशबू रब को पसंद है।
- 10 अगर भस्म होनेवाली कुरबानी भेड़-बकरियों में से चुनी जाए तो वह बेऐब नर हो।
- 11 पेश करनेवाला उसे रब के सामने कुरबानगाह की शिमाली सिम्त में ज़बह करे। फिर हास्न के बेटे जो इमाम हैं उसका खून कुरबानगाह के चार पहलुओं पर छिड़कें।
- 12 इसके बाद पेश करनेवाला जानवर के टुकड़े टुकड़े करे और इमाम यह टुकड़े सर और चरबी समेत कुरबानगाह की जलती हुई लकड़ियों पर तरतीब से रखे।

13 लाजिम है कि कुरबानी पेश करनेवाला पहले जानवर की अंतड़ियाँ और पिंडलियाँ धोए, फिर इमाम पूरे जानवर को रब को पेश करके कुरबानगाह पर जला दे। इस जलनेवाली कुरबानी की खुशबू रब को पसंद है।

14 अगर भस्म होनेवाली कुरबानी परिदा हो तो वह कुम्री या जवान कबूतर हो।

15 इमाम उसे कुरबानगाह के पास ले आए और उसका सर मरोड़कर कुरबानगाह पर जला दे। वह उसका खून यों निकलने दे कि वह कुरबानगाह की एक तरफ से नीचे टपके।

16 वह उसका पोटा और जो उसमें है दूर करके कुरबानगाह की मशरिकी सिमत में फेंक दे, वहाँ जहाँ राख फेंकी जाती है।

17 उसे पेश करते वक्त इमाम उसके पर पकड़कर परिदे को फाड़ डाले, लेकिन यों कि वह बिलकुल टुकड़े टुकड़े न हो जाए। फिर इमाम उसे कुरबानगाह पर जलती हुई लकड़ियों पर जला दे। इस जलनेवाली कुरबानी की खुशबू रब को पसंद है।

2

गल्ला की नज़र

1 अगर कोई रब को गल्ला की नज़र पेश करना चाहे तो वह इसके लिए बेहतरीन मैदा इस्तेमाल करे। उस पर वह जैतून का तेल उंडेले और लुबान रखकर

2 उसे हासून के बेटों के पास ले आए जो इमाम हैं। इमाम तेल से मिलाया गया मुट्ठी-भर मैदा और तमाम लुबान लेकर कुरबानगाह पर जला दे। यह यादगार का हिस्सा है, और उस की खुशबू रब को पसंद है।

3 बाक़ी मैदा और तेल हासून और उसके बेटों का हिस्सा है। वह रब की जलनेवाली कुरबानियों में से एक निहायत मुक़द्दस हिस्सा है।

4 अगर यह कुरबानी तनूर में पकाई हुई रोटी हो तो उसमें खमीर न हो। इसकी दो क्रिस्में हो सकती हैं, रोटियाँ जो बेहतरीन मैदे और तेल से बनी हुई हों और रोटियाँ जिन पर तेल लगाया गया हो।

5 अगर यह कुरबानी तवे पर पकाई हुई रोटी हो तो वह बेहतरीन मैदे और तेल की हो। उसमें खमीर न हो।

6 चूँकि वह गल्ला की नज़र है इसलिए रोटी को टुकड़े टुकड़े करना और उस पर तेल डालना।

7 अगर यह कुरबानी कड़ाही में पकाई हुई रोटी हो तो वह बेहतरीन मैदे और तेल की हो।

8 अगर तू इन चीजों की बनी हुई गल्ला की नज़र रब के हुज़ूर लाना चाहे तो उसे इमाम को पेश करना। वही उसे कुरबानगाह के पास ले आए।

9 फिर इमाम यादगार का हिस्सा अलग करके उसे कुरबानगाह पर जला दे। ऐसी कुरबानी की खुशबू रब को पसंद है।

10 कुरबानी का बाकी हिस्सा हारून और उसके बेटों के लिए है। वह रब की जलनेवाली कुरबानियों में से एक निहायत मुकद्दस हिस्सा है।

11 गल्ला की जितनी नज़रें तुम रब को पेश करते हो उनमें खमीर न हो, क्योंकि लाज़िम है कि तुम रब को जलनेवाली कुरबानी पेश करते वक़्त न खमीर, न शहद जलाओ।

12 यह चीज़ें फ़सल के पहले फलों के साथ रब को पेश की जा सकती हैं, लेकिन उन्हें कुरबानगाह पर न जलाया जाए, क्योंकि वहाँ रब को उनकी खुशबू पसंद नहीं है।

13 गल्ला की हर नज़र में नमक हो, क्योंकि नमक उस अहद की नुमाइंदगी करता है जो तेरे खुदा ने तेरे साथ बाँधा है। तुझे हर कुरबानी में नमक डालना है।

14 अगर तू गल्ला की नज़र के लिए फ़सल के पहले फल पेश करना चाहे तो कुचली हुई कच्ची बालियाँ भूनकर पेश करना।

15 चूँकि वह गल्ला की नज़र है इसलिए उस पर तेल उंडेलना और लुबान रखना।

16 कुचले हुए दानों और तेल का जो हिस्सा रब का है यानी यादगार का हिस्सा उसे इमाम तमाम लुबान के साथ जला दे। यह नज़र रब के लिए जलनेवाली कुरबानी है।

3

सलामती की कुरबानी

1 अगर कोई रब को सलामती की कुरबानी पेश करने के लिए गाय या बैल चढ़ाना चाहे तो वह जानवर बेऐब हो।

2 वह अपना हाथ जानवर के सर पर रखकर उसे मुलाक़ात के ख़ैमे के दरवाज़े पर ज़बह करे। हारून के बेटे जो इमाम हैं उसका खून कुरबानगाह के चार पहलुओं पर छिड़कें।

3-4 पेश करनेवाला अंतडियों पर की सारी चरबी, गुरदे उस चरबी समेत जो उन पर और कमर के करीब होती है और जोड़कलेजी जलनेवाली कुरबानी के तौर पर रब को पेश करे। इन चीजों को गुरदों के साथ ही अलग करना है।

5 फिर हासून के बेटे यह सब कुछ भस्म होनेवाली कुरबानी के साथ कुरबानगाह की लकड़ियों पर जला दें। यह जलनेवाली कुरबानी है, और इसकी खुशबू रब को पसंद है।

6 अगर सलामती की कुरबानी के लिए भेड़-बकरियों में से जानवर चुना जाए तो वह बेऐब नर या मादा हो।

7 अगर वह भेड़ का बच्चा चढ़ाना चाहे तो वह उसे रब के सामने ले आए।

8 वह अपना हाथ उसके सर पर रखकर उसे मुलाकात के खैमे के सामने ज़बह करे। हासून के बेटे उसका खून कुरबानगाह के चार पहलुओं पर छिड़कें।

9-10 पेश करनेवाला चरबी, पूरी दुम, अंतडियों पर की सारी चरबी, गुरदे उस चरबी समेत जो उन पर और कमर के करीब होती है और जोड़कलेजी जलनेवाली कुरबानी के तौर पर रब को पेश करे। इन चीजों को गुरदों के साथ ही अलग करना है।

11 इमाम यह सब कुछ रब को पेश करके कुरबानगाह पर जला दे। यह खुराक जलनेवाली कुरबानी है।

12 अगर सलामती की कुरबानी बकरी की हो

13 तो पेश करनेवाला उस पर हाथ रखकर उसे मुलाकात के खैमे के सामने ज़बह करे। हासून के बेटे जानवर का खून कुरबानगाह के चार पहलुओं पर छिड़कें।

14-15 पेश करनेवाला अंतडियों पर की सारी चरबी, गुरदे उस चरबी समेत जो उन पर और कमर के करीब होती है और जोड़कलेजी जलनेवाली कुरबानी के तौर पर रब को पेश करे। इन चीजों को गुरदों के साथ ही अलग करना है।

16 इमाम यह सब कुछ रब को पेश करके कुरबानगाह पर जला दे। यह खुराक जलनेवाली कुरबानी है, और इसकी खुशबू रब को पसंद है।

सारी चरबी रब की है।

17 तुम्हारे लिए खून या चरबी खाना मना है। यह न सिर्फ तुम्हारे लिए मना है बल्कि तुम्हारी औलाद के लिए भी, न सिर्फ यहाँ बल्कि हर जगह जहाँ तुम रहते हो।”

4

गुनाह की कुरबानी

1 रब ने मूसा से कहा,

2 “इसराईलियों को बताना कि जो भी गैरइरादी तौर पर गुनाह करके रब के किसी हुक्म को तोड़े वह यह करे :

इमाम के लिए गुनाह की कुरबानी

3 अगर इमामे-आज़म गुनाह करे और नतीजे में पूरी क़ौम कुसूरवार ठहरे तो फिर वह रब को एक बेऐब जवान बैल लेकर गुनाह की कुरबानी के तौर पर पेश करे।

4 वह जवान बैल को मुलाक़ात के ख़ैमे के दरवाज़े के पास ले आए और अपना हाथ उसके सर पर रखकर उसे रब के सामने ज़बह करे।

5 फिर वह जानवर के खून में से कुछ लेकर ख़ैमे में जाए।

6 वहाँ वह अपनी उँगली उसमें डालकर उसे सात बार रब के सामने यानी मुक़द्दसतरीन कमरे के परदे पर छिड़के।

7 फिर वह ख़ैमे के अंदर की उस क़ुरबानगाह के चारों सींगों पर खून लगाए जिस पर बख़ूर जलाया जाता है। बाक़ी खून वह बाहर ख़ैमे के दरवाज़े पर की उस क़ुरबानगाह के पाए पर उंडेले जिस पर जानवर जलाए जाते हैं।

8 जवान बैल की सारी चरबी, अंतड़ियों पर की सारी चरबी,

9 गुरदे उस चरबी समेत जो उन पर और कमर के करीब होती है और जोड़कलेजी को गुरदों के साथ ही अलग करना है।

10 यह बिलकुल उसी तरह किया जाए जिस तरह उस बैल के साथ किया गया जो सलामती की कुरबानी के लिए पेश किया जाता है। इमाम यह सब कुछ उस क़ुरबानगाह पर जला दे जिस पर जानवर जलाए जाते हैं।

11 लेकिन वह उस की खाल, उसका सारा गोश्त, सर और पिंडलियाँ, अंतड़ियाँ और उनका गोबर

12 ख़ैमागाह के बाहर ले जाए। यह चीज़ें उस पाक जगह पर जहाँ कुरबानियों की राख़ फेंकी जाती है लकड़ियों पर रखकर जला देनी हैं।

क़ौम के लिए गुनाह की कुरबानी

13 अगर इसराईल की पूरी जमात ने गैरइरादी तौर पर गुनाह करके रब के किसी हुक्म से तजावुज़ किया है और जमात को मालूम नहीं था तो भी वह कुसूरवार है।

14 जब लोगों को पता लगे कि हमने गुनाह किया है तो जमात मुलाकात के खैमे के पास एक जवान बैल ले आए और उसे गुनाह की कुरबानी के तौर पर पेश करे।

15 जमात के बुजुर्ग रब के सामने अपने हाथ उसके सर पर रखें, और वह वहीं ज़बह किया जाए।

16 फिर इमामे-आज़म जानवर के खून में से कुछ लेकर मुलाकात के खैमे में जाए।

17 वहाँ वह अपनी उँगली उसमें डालकर उसे सात बार रब के सामने यानी मुकद्दसतरीन कमरे के परदे पर छिड़के।

18 फिर वह खैमे के अंदर की उस कुरबानगाह के चारों सींगों पर खून लगाए जिस पर बखूर जलाया जाता है। बाक़ी खून वह बाहर खैमे के दरवाज़े की उस कुरबानगाह के पाए पर उंडेले जिस पर जानवर जलाए जाते हैं।

19 इसके बाद वह उस की तमाम चरबी निकालकर कुरबानगाह पर जला दे।

20 उस बैल के साथ वह सब कुछ करे जो उसे अपने ज़ाती ग़ैरइरादी गुनाह के लिए करना होता है। यों वह लोगों का कफ़फ़ारा देगा और उन्हें मुआफ़ी मिल जाएगी।

21 आखिर में वह बैल को खैमागाह के बाहर ले जाकर उस तरह जला दे जिस तरह उसे अपने लिए बैल को जला देना होता है। यह जमात का गुनाह दूर करने की कुरबानी है।

कौम के राहनुमा के लिए गुनाह की कुरबानी

22 अगर कोई सरदार ग़ैरइरादी तौर पर गुनाह करके रब के किसी हुक्म से तजावुज़ करे और यों कुसूरवार ठहरे तो

23 जब भी उसे पता लगे कि मुझसे गुनाह हुआ है तो वह कुरबानी के लिए एक बेऐब बकरा ले आए।

24 वह अपना हाथ बकरे के सर पर रखकर उसे वहाँ ज़बह करे जहाँ भस्म होनेवाली कुरबानियाँ ज़बह की जाती हैं। यह गुनाह की कुरबानी है।

25 इमाम अपनी उँगली खून में डालकर उसे उस कुरबानगाह के चारों सींगों पर लगाए जिस पर जानवर जलाए जाते हैं। बाक़ी खून वह कुरबानगाह के पाए पर उंडेले।

26 फिर वह उस की सारी चरबी कुरबानगाह पर उस तरह जला दे जिस तरह वह सलामती की कुरबानियों की चरबी जला देता है। यों इमाम उस आदमी का कफ़फ़ारा देगा और उसे मुआफ़ी हासिल हो जाएगी।

आम लोगों के लिए गुनाह की कुरबानी

27 अगर कोई आम शख्स ग़ैरइरादी तौर पर गुनाह करके रब के किसी हुक्म से तजावुज़ करे और यों क़सूरवार ठहरे तो

28 जब भी उसे पता लगे कि मुझसे गुनाह हुआ है तो वह कुरबानी के लिए एक बेऐब बकरी ले आए।

29 वह अपना हाथ बकरी के सर पर रखकर उसे वहाँ ज़बह करे जहाँ भस्म होनेवाली कुरबानियाँ ज़बह की जाती हैं।

30 इमाम अपनी उँगली खून में डालकर उसे उस कुरबानगाह के चारों सींगों पर लगाए जिस पर जानवर जलाए जाते हैं। बाक़ी खून वह कुरबानगाह के पाए पर उंडेले।

31 फिर वह उस की सारी चरबी उस तरह निकाले जिस तरह वह सलामती की कुरबानियों की चरबी निकालता है। इसके बाद वह उसे कुरबानगाह पर जला दे। ऐसी कुरबानी की खुशबू रब को पसंद है। यों इमाम उस आदमी का कफ़फ़ारा देगा और उसे मुआफ़ी हासिल हो जाएगी।

32 अगर वह गुनाह की कुरबानी के लिए भेड़ का बच्चा लाना चाहे तो वह बेऐब मादा हो।

33 वह अपना हाथ उसके सर पर रखकर उसे वहाँ ज़बह करे जहाँ भस्म होनेवाली कुरबानियाँ ज़बह की जाती हैं।

34 इमाम अपनी उँगली खून में डालकर उसे उस कुरबानगाह के चारों सींगों पर लगाए जिस पर जानवर जलाए जाते हैं। बाक़ी खून वह कुरबानगाह के पाए पर उंडेले।

35 फिर वह उस की तमाम चरबी उस तरह निकाले जिस तरह सलामती की कुरबानी के लिए ज़बह किए गए जवान मेंढे की चरबी निकाली जाती है। इसके बाद इमाम चरबी को कुरबानगाह पर उन कुरबानियों समेत जला दे जो रब के लिए जलाई जाती हैं। यों इमाम उस आदमी का कफ़फ़ारा देगा और उसे मुआफ़ी मिल जाएगी।

5

गुनाह की कुरबानियों के बारे में खास हिदायात

1 हो सकता है कि किसी ने यों गुनाह किया कि उसने कोई जुर्म देखा या वह उसके बारे में कुछ जानता है। तो भी जब गवाहों को कसम के लिए बुलाया जाता है तो वह गवाही देने के लिए सामने नहीं आता। इस सूरत में वह कुसूरवार ठहरता है।

2 हो सकता है कि किसी ने गैरइरादी तौर पर किसी नापाक चीज़ को छू लिया है, खाह वह किसी जंगली जानवर, मवेशी या रेंगनेवाले जानवर की लाश क्यों न हो। इस सूरत में वह नापाक है और कुसूरवार ठहरता है।

3 हो सकता है कि किसी ने गैरइरादी तौर पर किसी शख्स की नापाकी को छू लिया है यानी उस की कोई ऐसी चीज़ जिससे वह नापाक हो गया है। जब उसे मालूम हो जाता है तो वह कुसूरवार ठहरता है।

4 हो सकता है कि किसी ने बेपरवाई से कुछ करने की कसम खाई है, चाहे वह अच्छा काम था या ग़लत। जब वह जान लेता है कि उसने क्या किया है तो वह कुसूरवार ठहरता है।

5 जो इस तरह के किसी गुनाह की बिना पर कुसूरवार हो, लाज़िम है कि वह अपना गुनाह तसलीम करे।

6 फिर वह गुनाह की कुरबानी के तौर पर एक भेड़ या बकरी पेश करे। यों इमाम उसका कफ़फ़ारा देगा।

7 अगर कुसूरवार शख्स ग़ुरबत के बाइस भेड़ या बकरी न दे सके तो वह रब को दो कुम्रियाँ या दो जवान कबूतर पेश करे, एक गुनाह की कुरबानी के लिए और एक भस्म होनेवाली कुरबानी के लिए।

8 वह उन्हें इमाम के पास ले आए। इमाम पहले गुनाह की कुरबानी के लिए परिदा पेश करे। वह उस की गरदन मरोड़ डाले लेकिन ऐसे कि सर जुदा न हो जाए।

9 फिर वह उसके खून में से कुछ कुरबानगाह के एक पहलू पर छिड़के। बाक़ी खून वह यों निकलने दे कि वह कुरबानगाह के पाए पर टपके। यह गुनाह की कुरबानी है।

10 फिर इमाम दूसरे परिदे को कवायद के मुताबिक भस्म होनेवाली कुरबानी के तौर पर पेश करे। यों इमाम उस आदमी का कफ़फ़ारा देगा और उसे मुआफ़ी मिल जाएगी।

11 अगर वह शख्स गुरबत के बाइस दो कुम्रियाँ या दो जवान कबूतर भी न दे सके तो फिर वह गुनाह की कुरबानी के लिए डेढ़ किलोग्राम बेहतरीन मैदा पेश करे। वह उस पर न तेल उंडेले, न लुबान रखे, क्योंकि यह गल्ला की नज़र नहीं बल्कि गुनाह की कुरबानी है।

12 वह उसे इमाम के पास ले आए जो यादगार का हिस्सा यानी मुट्ठी-भर उन कुरबानियों के साथ जला दे जो रब के लिए जलाई जाती हैं। यह गुनाह की कुरबानी है।

13 यों इमाम उस आदमी का कफ़फ़ारा देगा और उसे मुआफ़ी मिल जाएगी। गल्ला की नज़र की तरह बाकी मैदा इमाम का हिस्सा है।”

कुसूर की कुरबानी

14 रब ने मूसा से कहा,

15 “अगर किसी ने बेईमानी करके गैरइरादी तौर पर रब की मखसूस और मुकद्दस चीज़ों के सिलसिले में गुनाह किया हो, ऐसा शख्स कुसूर की कुरबानी के तौर पर रब को बेऐब और कीमत के लिहाज़ से मुनासिब मेंढा या बकरा पेश करे। उस की कीमत मक़दिस की शरह के मुताबिक़ मुकर्रर की जाए।

16 जितना नुक़सान मक़दिस को हुआ है उतना ही वह दे। इसके अलावा वह मज़ीद 20 फ़ीसद अदा करे। वह उसे इमाम को दे दे और इमाम जानवर को कुसूर की कुरबानी के तौर पर पेश करके उसका कफ़फ़ारा दे। यों उसे मुआफ़ी मिल जाएगी।

17 अगर कोई गैरइरादी तौर पर गुनाह करके रब के किसी हुक्म से तजावुज़ करे तो वह कुसूरवार है, और वह उसका ज़िम्मादार ठहरेगा।

18 वह कुसूर की कुरबानी के तौर पर इमाम के पास एक बेऐब और कीमत के लिहाज़ से मुनासिब मेंढा ले आए। उस की कीमत मक़दिस की शरह के मुताबिक़ मुकर्रर की जाए। फिर इमाम यह कुरबानी उस गुनाह के लिए चढ़ाए जो कुसूरवार शख्स ने गैरइरादी तौर पर किया है। यों उसे मुआफ़ी मिल जाएगी।

19 यह कुसूर की कुरबानी है, क्योंकि वह रब का गुनाह करके कुसूरवार ठहरा है।”

6

1 रब ने मूसा से कहा,

2 “हो सकता है किसी ने गुनाह करके बेईमानी की है, मसलन उसने अपने पड़ोसी की कोई चीज़ वापस नहीं की जो उसके सुपुर्द की गई थी या जो उसे गिरवी के तौर पर मिली थी, या उसने उस की कोई चीज़ चोरी की, या उसने किसी से कोई चीज़ छीन ली,

3 या उसने किसी की गुमशुदा चीज़ के बारे में झूट बोला जब उसे मिल गई, या उसने कसम खाकर झूट बोला है, या इस तरह का कोई और गुनाह किया है।

4 अगर वह इस तरह का गुनाह करके कुसूरवार ठहरे तो लाज़िम है कि वह वही चीज़ वापस करे जो उसने चोरी की या छीन ली या जो उसके सुपुर्द की गई या जो गुमशुदा होकर उसके पास आ गई है

5 या जिसके बारे में उसने कसम खाकर झूट बोला है। वह उसका उतना ही वापस करके 20 फ़ीसद ज़्यादा दे। और वह यह सब कुछ उस दिन वापस करे जब वह अपनी कुसूर की कुरबानी पेश करता है।

6 कुसूर की कुरबानी के तौर पर वह एक बेऐब और क़ीमत के लिहाज़ से मुनासिब मेंढा इमाम के पास ले आए और रब को पेश करे। उस की क़ीमत मक़दिस की शरह के मुताबिक़ मुक़र्रर की जाए।

7 फिर इमाम रब के सामने उसका कफ़फ़ारा देगा तो उसे मुआफ़ी मिल जाएगी।”

भस्म होनेवाली कुरबानी

8 रब ने मूसा से कहा,

9 “हासून और उसके बेटों को भस्म होनेवाली कुरबानियों के बारे में ज़ैल की हिदायात देना : भस्म होनेवाली कुरबानी पूरी रात सुबह तक कुरबानगाह की उस जगह पर रहे जहाँ आग जलती है। आग को बुझने न देना।

10 सुबह को इमाम कतान का लिबास और कतान का पाजामा पहनकर कुरबानी से बची हुई राख कुरबानगाह के पास ज़मीन पर डाले।

11 फिर वह अपने कपड़े बदलकर राख को ख़ैमागाह के बाहर किसी पाक जगह पर छोड़ आए।

12 कुरबानगाह पर आग जलती रहे। वह कभी भी न बुझे। हर सुबह इमाम लकड़ियाँ चुनकर उस पर भस्म होनेवाली कुरबानी तरतीब से रखे और उस पर सलामती की कुरबानी की चरबी जला दे।

13 आग हमेशा जलती रहे। वह कभी न बुझने पाए।

गल्ला की नज़र

14 गल्ला की नज़र के बारे में हिदायात यह हैं : हास्न के बेटे उसे कुरबानगाह के सामने रब को पेश करें।

15 फिर इमाम यादगार का हिस्सा यानी तेल से मिलाया गया मुट्ठी-भर बेहतरीन मैदा और कुरबानी का तमाम लुबान लेकर कुरबानगाह पर जला दे। इसकी खुशबू रब को पसंद है।

16 हास्न और उसके बेटे कुरबानी का बाकी हिस्सा खा लें। लेकिन वह उसे मुक़द्दस जगह पर यानी मुलाक्रात के ख़ैमे की चारदीवारी के अंदर खाएँ, और उसमें ख़मीर न हो।

17 उसे पकाने के लिए उसमें ख़मीर न डाला जाए। मैंने जलनेवाली कुरबानियों में से यह हिस्सा उनके लिए मुक़र्रर किया है। यह गुनाह की कुरबानी और कुसूर की कुरबानी की तरह निहायत मुक़द्दस है।

18 हास्न की औलाद के तमाम मर्द उसे खाएँ। यह उसूल अबद तक क़ायम रहे। जो भी उसे छुएगा वह मख़सूसी-मुक़द्दस हो जाएगा।”

19 रब ने मूसा से कहा,

20 “जब हास्न और उसके बेटों को इमाम की ज़िम्मादारी उठाने के लिए मख़सूस करके तेल से मसह किया जाएगा तो वह डेढ़ किलोग्राम बेहतरीन मैदा पेश करें। उसका आधा हिस्सा सुबह को और आधा हिस्सा शाम के वक़्त पेश किया जाए। वह गल्ला की यह नज़र रोज़ाना पेश करें।

21 उसे तेल के साथ मिलाकर तवे पर पकाना है। फिर उसे टुकड़े टुकड़े करके गल्ला की नज़र के तौर पर पेश करना। उस की खुशबू रब को पसंद है।

22 यह कुरबानी हमेशा हास्न की नसल का वह आदमी पेश करे जिसे मसह करके इमामे-आज़म का ओहदा दिया गया है, और वह उसे पूरे तौर पर रब के लिए जला दे।

23 इमाम की गल्ला की नज़र हमेशा पूरे तौर पर जलाना। उसे न खाना।”

गुनाह की कुरबानी

24 रब ने मूसा से कहा,

25 “हासून और उसके बेटों को गुनाह की कुरबानी के बारे में जैल की हिदायात देना : गुनाह की कुरबानी को रब के सामने वहीं ज़बह करना है जहाँ भस्म होनेवाली कुरबानी ज़बह की जाती है। वह निहायत मुकद्दस है।

26 उसे पेश करनेवाला इमाम उसे मुकद्दस जगह पर यानी मुलाकात के ख़ैमे की चारदीवारी के अंदर खाए।

27 जो भी इस कुरबानी के गोश्त को छू लेता है वह मख़सूसो-मुकद्दस हो जाता है। अगर कुरबानी के ख़ून के छीटे किसी लिबास पर पड़ जाएँ तो उसे मुकद्दस जगह पर धोना है।

28 अगर गोश्त को हंडिया में पकाया गया हो तो उस बरतन को बाद में तोड़ देना है। अगर उसके लिए पीतल का बरतन इस्तेमाल किया गया हो तो उसे ख़ूब मॉझकर पानी से साफ़ करना।

29 इमामों के ख़ानदानों में से तमाम मर्द उसे खा सकते हैं। यह खाना निहायत मुकद्दस है।

30 लेकिन गुनाह की हर वह कुरबानी खाई न जाए जिसका ख़ून मुलाकात के ख़ैमे में इसलिए लाया गया है कि मक़दिस में किसी का कफ़फ़ारा दिया जाए। उसे जलाना है।

7

कुसूर की कुरबानी

1 कुसूर की कुरबानी जो निहायत मुकद्दस है उसके बारे में हिदायात यह हैं :

2 कुसूर की कुरबानी वहीं ज़बह करनी है जहाँ भस्म होनेवाली कुरबानी ज़बह की जाती है। उसका ख़ून कुरबानगाह के चार पहलुओं पर छिड़का जाए।

3 उस की तमाम चरबी निकालकर कुरबानगाह पर चढ़ानी है यानी उस की दुम, अंतड़ियों पर की चरबी,

4 गुरदे उस चरबी समेत जो उन पर और कमर के करीब होती है और जोड़कलेजी। इन चीज़ों को गुरदों के साथ ही अलग करना है।

5 इमाम यह सब कुछ रब को कुरबानगाह पर जलनेवाली कुरबानी के तौर पर पेश करे। यह कुसूर की कुरबानी है।

6 इमामों के ख़ानदानों में से तमाम मर्द उसे खा सकते हैं। लेकिन उसे मुकद्दस जगह पर खाया जाए। यह निहायत मुकद्दस है।

7 गुनाह और कुसूर की कुरबानी के लिए एक ही उसूल है, जो इमाम कुरबानी को पेश करके कफ़रारा देता है उसको उसका गोश्त मिलता है।

8 इस तरह जो इमाम किसी जानवर को भस्म होनेवाली कुरबानी के तौर पर चढ़ाता है उसी को जानवर की खाल मिलती है।

9 और इसी तरह तनूर में, कड़ाही में या तवे पर पकाई गई गल्ला की हर नज़र उस इमाम को मिलती है जिसने उसे पेश किया है।

10 लेकिन हासून के तमाम बेटों को गल्ला की बाकी नज़रें बराबर बराबर मिलती रहें, खाह उनमें तेल मिलाया गया हो या वह खुशक हों।

सलामती की कुरबानी

11 सलामती की कुरबानी जो रब को पेश की जाती है उसके बारे में ज़ैल की हिदायात हैं :

12 अगर कोई इस कुरबानी से अपनी शुक्रगुजारी का इज़हार करना चाहे तो वह जानवर के साथ बेखमीरी रोटी जिसमें तेल डाला गया हो, बेखमीरी रोटी जिस पर तेल लगाया गया हो और रोटी जिसमें बेहतरीन मैदा और तेल मिलाया गया हो पेश करे।

13 इसके अलावा वह खमीरी रोटी भी पेश करे।

14 पेश करनेवाला कुरबानी की हर चीज़ का एक हिस्सा उठाकर रब के लिए मखसूस करे। यह उस इमाम का हिस्सा है जो जानवर का खून कुरबानगाह पर छिड़कता है।

15 गोश्त उसी दिन खाया जाए जब जानवर को ज़बह किया गया हो। अगली सुबह तक कुछ नहीं बचना चाहिए।

16 इस कुरबानी का गोश्त सिर्फ़ इस सूरत में अगले दिन खाया जा सकता है जब किसी ने मन्नत मानकर या अपनी खुशी से उसे पेश किया है।

17 अगर कुछ गोश्त तीसरे दिन तक बच जाए तो उसे जलाना है।

18 अगर उसे तीसरे दिन भी खाया जाए तो रब यह कुरबानी क़बूल नहीं करेगा। उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उसे नापाक करार दिया जाएगा। जो भी उससे खाएगा वह कुसूरवार ठहरेगा।

19 अगर यह गोश्त किसी नापाक चीज़ से लग जाए तो उसे नहीं खाना है बल्कि उसे जलाया जाए। अगर गोश्त पाक है तो हर शख्स जो खुद पाक है उसे खा सकता है।

20 लेकिन अगर नापाक शख्स रब को पेश की गई सलामती की कुरबानी का यह गोश्त खाए तो उसे उस की कौम में से मिटा डालना है।

21 हो सकता है कि किसी ने किसी नापाक चीज़ को छू लिया है चाहे वह नापाक शख्स, जानवर या कोई और धिनौनी और नापाक चीज़ हो। अगर ऐसा शख्स रब को पेश की गई सलामती की कुरबानी का गोश्त खाए तो उसे उस की कौम में से मिटा डालना है।”

चरबी और खून खाना मना है

22 रब ने मूसा से कहा,

23 “इसराईलियों को बता देना कि गाय-बैल और भेड़-बकरियों की चरबी खाना तुम्हारे लिए मना है।

24 तुम फ़ितरी तौर पर मरे हुए जानवरों और फाड़े हुए जानवरों की चरबी दीगर कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसे खाना मना है।

25 जो भी उस चरबी में से खाए जो जलाकर रब को पेश की जाती है उसे उस की कौम में से मिटा डालना है।

26 जहाँ भी तुम रहते हो वहाँ परिदों या दीगर जानवरों का खून खाना मना है।

27 जो भी खून खाए उसे उस की कौम में से मिटाया जाए।”

कुरबानियों में से इमाम का हिस्सा

28 रब ने मूसा से कहा,

29 “इसराईलियों को बताना कि जो रब को सलामती की कुरबानी पेश करे वह रब के लिए एक हिस्सा मखसूस करे।

30 वह जलनेवाली यह कुरबानी अपने हाथों से रब को पेश करे। इसके लिए वह जानवर की चरबी और सीना रब के सामने पेश करे। सीना हिलानेवाली कुरबानी हो।

31 इमाम चरबी को कुरबानगाह पर जला दे जबकि सीना हासून और उसके बेटों का हिस्सा है।

32 कुरबानी की दहनी रान इमाम को उठानेवाली कुरबानी के तौर पर दी जाए।

33 वह उस इमाम का हिस्सा है जो सलामती की कुरबानी का खून और चरबी चढ़ाता है।

34 इसराईलियों की सलामती की कुरबानियों में से मैंने हिलानेवाला सीना और उठानेवाली रान इमामों को दी है। यह चीजें हमेशा के लिए इसराईलियों की तरफ से इमामों का हक हैं।”

35 यह उस दिन जलनेवाली कुरबानियों में से हासून और उसके बेटों का हिस्सा बन गई जब उन्हें मकदिस में रब की खिदमत में पेश किया गया।

36 रब ने उस दिन जब उन्हें तेल से मसह किया गया हुक्म दिया था कि इसराईली यह हिस्सा हमेशा इमामों को दिया करें।

37 गरज यह हिदायात तमाम कुरबानियों के बारे में हैं यानी भस्म होनेवाली कुरबानी, गल्ला की नज़र, गुनाह की कुरबानी, कुसूर की कुरबानी, इमाम को मकदिस में खिदमत के लिए मखसूस करने की कुरबानी और सलामती की कुरबानी के बारे में।

38 रब ने मूसा को यह हिदायात सीना पहाड़ पर दीं, उस दिन जब उसने इसराईलियों को हुक्म दिया कि वह दशते-सीना में रब को अपनी कुरबानियाँ पेश करें।

8

हासून और उसके बेटों की मखसूसियत

1 रब ने मूसा से कहा,

2 “हासून और उसके बेटों को मेरे हुज़ूर ले आना। नीज़ इमामों के लिबास, मसह का तेल, गुनाह की कुरबानी के लिए जवान बैल, दो मेंढे और बेखमीरी रोटियों की टोकरी ले आना।

3 फिर पूरी जमात को ख़ैमे के दरवाज़े पर जमा करना।”

4 मूसा ने ऐसा ही किया। जब पूरी जमात इकट्ठी हो गई तो

5 उसने उनसे कहा, “अब मैं वह कुछ करता हूँ जिसका हुक्म रब ने दिया है।”

6 मूसा ने हासून और उसके बेटों को सामने लाकर गुस्ल कराया।

7 उसने हासून को कतान का ज़ेरजामा पहनाकर कमरबंद लपेटा। फिर उसने चोगा पहनाया जिस पर उसने बालापोश को महारत से बुने हुए पटके से बाँधा।

8 इसके बाद उसने सीने का कीसा लगाकर उसमें दोनों कुरे बनाम ऊरीम और तुम्मीम रखे।

9 फिर उसने हासून के सर पर पगड़ी रखी जिसके सामनेवाले हिस्से पर उसने मुकद्दस ताज यानी सोने की तख्ती लगा दी। सब कुछ उस हुक्म के ऐन मुताबिक हुआ जो रब ने मूसा को दिया था।

10 इसके बाद मूसा ने मसह के तेल से मकदिस को और जो कुछ उसमें था मसह करके उसे मखसूसो-मुकद्दस किया।

11 उसने यह तेल सात बार जानवर चढ़ाने की कुरबानगाह और उसके सामान पर छिड़क दिया। इसी तरह उसने सात बार धोने के हौज़ और उस ढाँचे पर तेल छिड़क दिया जिस पर हौज़ रखा हुआ था। यों यह चीज़ें मखसूसो-मुकद्दस हुईं।

12 उसने हासून के सर पर मसह का तेल उंडेलकर उसे मसह किया। यों वह मखसूसो-मुकद्दस हुआ।

13 फिर मूसा ने हासून के बेटों को सामने लाकर उन्हें जेरजामे पहनाए, कमरबंद लपेटे और उनके सरों पर पगड़ियाँ बाँधीं। सब कुछ उस हुक्म के ऐन मुताबिक हुआ जो रब ने मूसा को दिया था।

14 अब मूसा ने गुनाह की कुरबानी के लिए जवान बैल को पेश किया। हासून और उसके बेटों ने अपने हाथ उसके सर पर रखे।

15 मूसा ने उसे ज़बह करके उसके खून में से कुछ लेकर अपनी उँगली से कुरबानगाह के सींगों पर लगा दिया ताकि वह गुनाहों से پاک हो जाए। बाकी खून उसने कुरबानगाह के पाए पर उंडेल दिया। यों उसने उसे मखसूसो-मुकद्दस करके उसका कफ़फ़ारा दिया।

16 मूसा ने अंतड़ियों पर की तमाम चरबी, जोड़कलेजी और दोनों गुरदे उनकी चरबी समेत लेकर कुरबानगाह पर जला दिए।

17 लेकिन बैल की खाल, गोशत और अंतड़ियों के गोबर को उसने खैमागाह के बाहर ले जाकर जला दिया। सब कुछ उस हुक्म के मुताबिक हुआ जो रब ने मूसा को दिया था।

18 इसके बाद उसने भस्म होनेवाली कुरबानी के लिए पहला मेंढा पेश किया। हासून और उसके बेटों ने अपने हाथ उसके सर पर रख दिए।

19 मूसा ने उसे ज़बह करके उसका खून कुरबानगाह के चार पहलुओं पर छिड़क दिया।

20 उसने मेंढे को टुकड़े टुकड़े करके सर, टुकड़े और चरबी जला दी।

21 उसने अंतड़ियाँ और पिंडलियाँ पानी से साफ़ करके पूरे मेंढे को कुरबानगाह पर जला दिया। सब कुछ उस हुक्म के ऐन मुताबिक हुआ जो रब ने मूसा को दिया

था। रब के लिए जलनेवाली यह कुरबानी भस्म होनेवाली कुरबानी थी, और उस की खुशबू रब को पसंद थी।

22 इसके बाद मूसा ने दूसरे मेंढे को पेश किया। इस कुरबानी का मकसद इमामों को मक़दिस में ख़िदमत के लिए मख़सूस करना था। हासून और उसके बेटों ने अपने हाथ मेंढे के सर पर रख दिए।

23 मूसा ने उसे ज़बह करके उसके खून में से कुछ लेकर हासून के दहने कान की लौ पर और उसके दहने हाथ और दहने पाँव के अंगूठों पर लगाया।

24 यही उसने हासून के बेटों के साथ भी किया। उसने उन्हें सामने लाकर उनके दहने कान की लौ पर और उनके दहने हाथ और दहने पाँव के अंगूठों पर खून लगाया। बाक़ी खून उसने कुरबानगाह के चार पहलुओं पर छिड़क दिया।

25 उसने मेंढे की चरबी, दुम, अंतड़ियों पर की सारी चरबी, जोड़कलेजी, दोनों गुरदे उनकी चरबी समेत और दहनी रान अलग की।

26 फिर वह रब के सामने पड़ी बेख़मीरी रोटियों की टोकरी में से एक सादा रोटी, एक रोटी जिसमें तेल डाला गया था और एक रोटी जिस पर तेल लगाया गया था लेकर चरबी और रान पर रख दी।

27 उसने यह सब कुछ हासून और उसके बेटों के हाथों पर रखकर उसे हिलानेवाली कुरबानी के तौर पर रब को पेश किया।

28 फिर उसने यह चीज़ें उनसे वापस लेकर कुरबानगाह पर जला दी जिस पर पहले भस्म होनेवाली कुरबानी रखी गई थी। रब के लिए जलनेवाली यह कुरबानी इमामों को मख़सूस करने के लिए चढ़ाई गई, और उस की खुशबू रब को पसंद थी।

29 मूसा ने सीना भी लिया और उसे हिलानेवाली कुरबानी के तौर पर रब के सामने हिलाया। यह मख़सूसियत के मेंढे में से मूसा का हिस्सा था। मूसा ने इसमें भी सब कुछ रब के हुक्म के ऐन मुताबिक़ किया।

30 फिर उसने मसह के तेल और कुरबानगाह पर के खून में से कुछ लेकर हासून, उसके बेटों और उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। यों उसने उन्हें और उनके कपड़ों को मख़सूसो-मुक़द्स किया।

31 मूसा ने उनसे कहा, “गोशत को मुलाक़ात के ख़ैमे के दरवाज़े पर उबालकर उसे उन रोटियों के साथ खाना जो मख़सूसियत की कुरबानियों की टोकरी में पड़ी हैं। क्योंकि रब ने मुझे यही हुक्म दिया है।

32 गोशत और रोटियों का बकाया जला देना।

33 सात दिन तक मुलाकात के खैमे के दरवाजे में से न निकलना, क्योंकि मक़दिस में खिदमत के लिए तुम्हारी मखसूसियत के इतने ही दिन हैं।

34 जो कुछ आज हुआ है वह रब के हुक्म के मुताबिक़ हुआ ताकि तुम्हारा कफ़फ़ारा दिया जाए।

35 तुम्हें सात रात और दिन तक खैमे के दरवाजे के अंदर रहना है। रब की इस हिदायत को मानो वरना तुम मर जाओगे, क्योंकि यह हुक्म मुझे रब की तरफ़ से दिया गया है।”

36 हासून और उसके बेटों ने उन तमाम हिदायत पर अमल किया जो रब ने मूसा की मारिफ़त उन्हें दी थी।

9

हासून कुरबानियाँ चढ़ाता है

1 मखसूसियत के सात दिन के बाद मूसा ने आठवें दिन हासून, उसके बेटों और इसराईल के बुजुर्गों को बुलाया।

2 उसने हासून से कहा, “एक बेऐब बछड़ा और एक बेऐब मेंढा चुनकर रब को पेश कर। बछड़ा गुनाह की कुरबानी के लिए और मेंढा भस्म होनेवाली कुरबानी के लिए हो।

3 फिर इसराईलियों को कह देना कि गुनाह की कुरबानी के लिए एक बकरा जबकि भस्म होनेवाली कुरबानी के लिए एक बेऐब यकसाला बछड़ा और एक बेऐब यकसाला भेड़ का बच्चा पेश करो।

4 साथ ही सलामती की कुरबानी के लिए एक बैल और एक मेंढा चुनो। तेल के साथ मिलाई हुई गल्ला की नज़र भी लेकर सब कुछ रब को पेश करो। क्योंकि आज ही रब तुम पर ज़ाहिर होगा।”

5 इसराईली मूसा की मतलूबा तमाम चीज़ें मुलाकात के खैमे के सामने ले आए। पूरी जमात करीब आकर रब के सामने खड़ी हो गई।

6 मूसा ने उनसे कहा, “तुम्हें वही करना है जिसका हुक्म रब ने तुम्हें दिया है। क्योंकि आज ही रब का जलाल तुम पर ज़ाहिर होगा।”

7 फिर उसने हासून से कहा, “कुरबानगाह के पास जाकर गुनाह की कुरबानी और भस्म होनेवाली कुरबानी चढ़ाकर अपना और अपनी क्रौम का कफ़फ़ारा देना।

रब के हुक्म के मुताबिक क्रौम के लिए भी कुरबानी पेश करना ताकि उसका कफ़ारा दिया जाए।”

8 हासून कुरबानगाह के पास आया। उसने बछड़े को ज़बह किया। यह उसके लिए गुनाह की कुरबानी था।

9 उसके बेटे बछड़े का खून उसके पास ले आए। उसने अपनी उँगली खून में डुबोकर उसे कुरबानगाह के सींगों पर लगाया। बाकी खून को उसने कुरबानगाह के पाए पर डंडेल दिया।

10 फिर उसने उस की चरबी, गुरदों और जोड़कलेजी को कुरबानगाह पर जला दिया। जैसे रब ने मूसा को हुक्म दिया था वैसे ही हासून ने किया।

11 बछड़े का गोश्त और खाल उसने खैमागाह के बाहर ले जाकर जला दी।

12 इसके बाद हासून ने भस्म होनेवाली कुरबानी को ज़बह किया। उसके बेटों ने उसे उसका खून दिया, और उसने उसे कुरबानगाह के चार पहलुओं पर छिड़क दिया।

13 उन्होंने उसे कुरबानी के मुख्तलिफ़ टुकड़े सर समेत दिए, और उसने उन्हें कुरबानगाह पर जला दिया।

14 फिर उसने उस की अंतड़ियाँ और पिंडलियाँ धोकर भस्म होनेवाली कुरबानी की बाकी चीज़ों पर रखकर जला दी।

15 अब हासून ने क्रौम के लिए कुरबानी चढ़ाई। उसने गुनाह की कुरबानी के लिए बकरा ज़बह करके उसे पहली कुरबानी की तरह चढ़ाया।

16 उसने भस्म होनेवाली कुरबानी भी क़वायद के मुताबिक चढ़ाई।

17 उसने गल्ला की नज़र पेश की और उसमें से मुट्ठी-भर कुरबानगाह पर जला दिया। यह गल्ला की उस नज़र के अलावा थी जो सुबह को भस्म होनेवाली कुरबानी के साथ चढ़ाई गई थी।

18 फिर उसने सलामती की कुरबानी के लिए बैल और मेंढे को ज़बह किया। यह भी क्रौम के लिए थी। उसके बेटों ने उसे जानवरों का खून दिया, और उसने उसे कुरबानगाह के चार पहलुओं पर छिड़क दिया।

19 लेकिन उन्होंने बैल और मेंढे को चरबी, दुम, अंतड़ियों पर की चरबी और जोड़कलेजी निकालकर

20 सीने के टुकड़ों पर रख दिया। हासून ने चरबी का हिस्सा कुरबानगाह पर जला दिया।

21 सीने के टुकड़े और दहनी रानें उसने हिलानेवाली कुरबानी के तौर पर रब के सामने हिलाई। उसने सब कुछ मूसा के हुक्म के मुताबिक ही किया।

22 तमाम कुरबानियाँ पेश करने के बाद हासून ने अपने हाथ उठाकर क्रौम को बरकत दी। फिर वह कुरबानगाह से उतरकर

23 मूसा के साथ मुलाकात के खैमे में दाखिल हुआ। जब दोनों बाहर आए तो उन्होंने क्रौम को बरकत दी। तब रब का जलाल पूरी क्रौम पर जाहिर हुआ।

24 रब के हुजूर से आग निकलकर कुरबानगाह पर उतरी और भस्म होनेवाली कुरबानी और चरबी के टुकड़े भस्म कर दिए। यह देखकर लोग खुशी के नारे मारने लगे और मुँह के बल गिर गए।

10

नदब और अबीह का गुनाह

1 हासून के बेटे नदब और अबीह ने अपने अपने बखूरदान लेकर उनमें जलते हुए कोयले डाले। उन पर बखूर डालकर वह रब के सामने आए ताकि उसे पेश करें। लेकिन यह आग नाजायज़ थी। रब ने यह पेश करने का हुक्म नहीं दिया था।

2 अचानक रब के हुजूर से आग निकली जिसने उन्हें भस्म कर दिया। वहीं रब के सामने वह मर गए।

3 मूसा ने हासून से कहा, “अब वही हुआ है जो रब ने फ़रमाया था कि जो मेरे करीब हैं उनसे मैं अपनी कुदूसियत जाहिर करूँगा, मैं तमाम क्रौम के सामने ही अपने जलाल का इज़हार करूँगा।”

हासून खामोश रहा।

4 मूसा ने हासून के चचा उज्जियेल के बेटों मीसाएल और इल्सफ़न को बुलाकर कहा, “इधर आओ और अपने रिश्तेदारों को मक़दिस के सामने से उठाकर ख़ैमागाह के बाहर ले जाओ।”

5 वह आए और मूसा के हुक्म के ऐन मुताबिक़ उन्हें उनके ज़ेरजामों समेत उठाकर ख़ैमागाह के बाहर ले गए।

6 मूसा ने हासून और उसके दीगर बेटों इलियज़र और इतमर से कहा, “मातम का इज़हार न करो। न अपने बाल बिखरने दो, न अपने कपड़े फाड़ो। वरना तुम मर जाओगे और रब पूरी जमात से नाराज़ हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार और

बाक़ी तमाम इसराईली ज़रूर इनका मातम करें जिनको रब ने आग से हलाक कर दिया है।

7 मुलाकात के ख़ैमे के दरवाज़े के बाहर न निकलो वरना तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम्हें रब के तेल से मसह किया गया है।” चुनाँचे उन्होंने ऐसा ही किया।

इमामों के लिए हिदायात

8 रब ने हासून से कहा,

9 “जब भी तुझे या तेरे बेटों को मुलाकात के ख़ैमे में दाख़िल होना है तो मैं या कोई और नशा-आवर चीज़ पीना मना है, वरना तुम मर जाओगे। यह उसूल आनेवाली नसलों के लिए भी अबद तक अनमिट है।

10 यह भी लाज़िम है कि तुम मुक़द्दस और ग़ैरमुक़द्दस चीज़ों में, पाक और नापाक चीज़ों में इम्तियाज़ करो।

11 तुम्हें इसराईलियों को तमाम पाबंदियाँ सिखानी हैं जो मैंने तुम्हें मूसा की मारिफ़त बताई हैं।”

12 मूसा ने हासून और उसके बचे हुए बेटों इलियज़र और इतमर से कहा, “ग़ल्ला की नज़र का जो हिस्सा रब के सामने जलाया नहीं जाता उसे अपने लिए लेकर बेख़मीरी रोटी पकाना और क़ुरबानगाह के पास ही खाना। क्योंकि वह निहायत मुक़द्दस है।

13 उसे मुक़द्दस जगह पर खाना, क्योंकि वह रब की जलनेवाली क़ुरबानियों में से तुम्हारे और तुम्हारे बेटों का हिस्सा है। क्योंकि मुझे इसका हुक्म दिया गया है।

14 जो सीना हिलानेवाली क़ुरबानी और दहनी रान उठानेवाली क़ुरबानी के तौर पर पेश की गई है, वह तुम और तुम्हारे बेटे-बेटियाँ खा सकते हैं। उन्हें मुक़द्दस जगह पर खाना है। इसराईलियों की सलामती की क़ुरबानियों में से यह टुकड़े तुम्हारा हिस्सा हैं।

15 लेकिन पहले इमाम रान और सीने को जलनेवाली क़ुरबानियों की चरबी के साथ पेश करें। वह उन्हें हिलानेवाली क़ुरबानी के तौर पर रब के सामने हिलाएँ। रब फ़रमाता है कि यह टुकड़े अबद तक तुम्हारे और तुम्हारे बेटों का हिस्सा हैं।”

16 मूसा ने दरियाफ़्त किया कि उस बकरे के गोश्त का क्या हुआ जो गुनाह की क़ुरबानी के तौर पर चढ़ाया गया था। उसे पता चला कि वह भी जल गया था। यह सुनकर उसे हासून के बेटों इलियज़र और इतमर पर गुस्सा आया। उसने पूछा,

17 “तुमने गुनाह की कुरबानी का गोशत क्यों नहीं खाया? तुम्हें उसे मुकद्दस जगह पर खाना था। यह एक निहायत मुकद्दस हिस्सा है जो रब ने तुम्हें दिया ताकि तुम जमात का कुसूर दूर करके रब के सामने लोगों का कफ़फ़ारा दो।

18 चूँकि इस बकरे का खून मक़दिस में न लाया गया इसलिए तुम्हें उसका गोशत मक़दिस में खाना था जिस तरह मैंने तुम्हें हुक्म दिया था।”

19 हासून ने मूसा को जवाब देकर कहा, “देखें, आज लोगों ने अपने लिए गुनाह की कुरबानी और भस्म होनेवाली कुरबानी रब को पेश की है जबकि मुझ पर यह आफ़त गुज़री है। अगर मैं आज गुनाह की कुरबानी से खाता तो क्या यह रब को अच्छा लगता?”

20 यह बात मूसा को अच्छी लगी।

11

पाक और नापाक जानवर

1 रब ने मूसा और हासून से कहा,

2 “इसराईलियों को बताना कि तुम्हें ज़मीन पर रहनेवाले जानवरों में से ज़ैल के जानवरों को खाने की इजाज़त है :

3 जिनके खुर या पाँव बिलकुल चिरे हुए हैं और जो जुगाली करते हैं उन्हें खाने की इजाज़त है।

4-6 ऊँट, बिज्जू या ख़रगोश खाना मना है। वह तुम्हारे लिए नापाक हैं, क्योंकि वह जुगाली तो करते हैं लेकिन उनके खुर या पाँव चिरे हुए नहीं हैं।

7 सुअर न खाना। वह तुम्हारे लिए नापाक है, क्योंकि उसके खुर तो चिरे हुए हैं लेकिन वह जुगाली नहीं करता।

8 न उनका गोशत खाना, न उनकी लाशों को छूना। वह तुम्हारे लिए नापाक है।

9 समुंदरी और दरियाई जानवर खाने के लिए जायज़ हैं अगर उनके पर और छिलके हों।

10 लेकिन जिनके पर या छिलके नहीं हैं वह सब तुम्हारे लिए मकरूह हैं, खाह वह बड़ी तादाद में मिलकर रहते हैं या नहीं।

11 इसलिए उनका गोशत खाना मना है, और उनकी लाशों से भी घिन खाना है।

12 पानी में रहनेवाले तमाम जानवर जिनके पर या छिलके न हों तुम्हारे लिए मकरूह हैं।

13 ज़ैल के परिदे तुम्हारे लिए काबिले-धिन हों। इन्हें खाना मना है, क्योंकि वह मकरूह हैं : उकाब, दढियल गिद्ध, काला गिद्ध,

14 लाल चील, हर किस्म की काली चील,

15 हर किस्म का कौवा,

16 उकाबी उल्लू, छोटे कानवाला उल्लू, बड़े कानवाला उल्लू, हर किस्म का बाज़,

17 छोटा उल्लू, कूक, चिंघाड़नेवाला उल्लू,

18 सफ़ेद उल्लू, दशती उल्लू, मिसरी गिद्ध,

19 लकलक, हर किस्म का बूतीमार, हुदहुद और चमगादड़। *

20 तमाम पर रखनेवाले कीड़े जो चार पाँवों पर चलते हैं तुम्हारे लिए मकरूह हैं,

21 सिवाए उनके जिनकी टाँगों के दो हिस्से हैं और जो फुदकते हैं। उनको तुम खा सकते हो।

22 इस नाते से तुम मुख्तलिफ़ किस्म के टिट्टे खा सकते हो।

23 बाक़ी सब पर रखनेवाले कीड़े जो चार पाँवों पर चलते हैं तुम्हारे लिए मकरूह हैं।

24-28 जो भी ज़ैल के जानवरों की लाशें छुए वह शाम तक नापाक रहेगा : (अलिफ़) खुर रखनेवाले तमाम जानवर सिवाए उनके जिनके खुर या पाँव पूरे तौर पर चिरे हुए हैं और जो जुगाली करते हैं, (बे) तमाम जानवर जो अपने चार पंजों पर चलते हैं। यह जानवर तुम्हारे लिए नापाक हैं, और जो भी उनकी लाशें उठाए या छुए लाज़िम है कि वह अपने कपड़े धो ले। इसके बावजूद भी वह शाम तक नापाक रहेगा।

29-30 ज़मीन पर रेंगनेवाले जानवरों में से छछूँदर, मुख्तलिफ़ किस्म के चूहे और मुख्तलिफ़ किस्म की छिपकलियाँ तुम्हारे लिए नापाक हैं।

31 जो भी उन्हें और उनकी लाशें छू लेता है वह शाम तक नापाक रहेगा।

32 अगर उनमें से किसी की लाश किसी चीज़ पर गिर पड़े तो वह भी नापाक हो जाएगी। इससे कोई फ़रक़ नहीं पड़ता कि वह लकड़ी, कपड़े, चमड़े या टाट की बनी हो, न इससे कोई फ़रक़ पड़ता है कि वह किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसे हर सूरत में पानी में डुबोना है। तो भी वह शाम तक नापाक रहेगी।

* 11:19 याद रहे कि कदीम ज़माने के इन परिदों के अकसर नाम मतरूक हैं या उनका मतलब बदल गया है, इसलिए उनका मुख्तलिफ़ तरज़ुमा हो सकता है।

33 अगर ऐसी लाश मिट्टी के बरतन में गिर जाए तो जो कुछ भी उसमें है नापाक हो जाएगा और तुम्हें उस बरतन को तोड़ना है।

34 हर खानेवाली चीज़ जिस पर ऐसे बरतन का पानी डाला गया है नापाक है। इसी तरह उस बरतन से निकली हुई हर पीनेवाली चीज़ नापाक है।

35 जिस पर भी ऐसी लाश गिर पड़े वह नापाक हो जाता है। अगर वह तनूर या चूल्हे पर गिर पड़े तो उनको तोड़ देना है। वह नापाक हैं और तुम्हारे लिए नापाक रहेंगे।

36 लेकिन जिस चश्मे या हौज़ में ऐसी लाश गिरे वह पाक रहता है। सिर्फ वह जो लाश को छू लेता है नापाक हो जाता है।

37 अगर ऐसी लाश बीजों पर गिर पड़े जिनको अभी बोना है तो वह पाक रहते हैं।

38 लेकिन अगर बीजों पर पानी डाला गया हो और फिर लाश उन पर गिर पड़े तो वह नापाक हैं।

39 अगर ऐसा जानवर जिसे खाने की इजाज़त है मर जाए तो जो भी उस की लाश छुए शाम तक नापाक रहेगा।

40 जो उसमें से कुछ खाए या उसे उठाकर ले जाए उसे अपने कपड़ों को धोना है। तो भी वह शाम तक नापाक रहेगा।

41 हर जानवर जो ज़मीन पर रेंगता है काबिले-घिन है। उसे खाना मना है,

42 चाहे वह अपने पेट पर चाहे चार या इससे जायद पाँवों पर चलता हो।

43 इन तमाम रेंगनेवालों से अपने आपको घिन का बाइस और नापाक न बनाना,

44 क्योंकि मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ। लाज़िम है कि तुम अपने आपको मखसूसो-मुकद्दस रखो, क्योंकि मैं कुद्दूस हूँ। अपने आपको ज़मीन पर रेंगनेवाले तमाम जानवरों से नापाक न बनाना।

45 मैं रब हूँ। मैं तुम्हें मिसर से निकाल लाया हूँ ताकि तुम्हारा खुदा बनूँ। लिहाज़ा मुकद्दस रहो, क्योंकि मैं कुद्दूस हूँ।

46 ज़मीन पर चलनेवाले जानवरों, परिदों, आबी जानवरों और ज़मीन पर रेंगनेवाले जानवरों के बारे में शरअ यही है।

47 लाज़िम है कि तुम नापाक और पाक में इम्तियाज़ करो, ऐसे जानवरों में जो खाने के लिए जायज़ हैं और ऐसों में जो नाजायज़ हैं।”

12

बच्चे की पैदाइश के बाद माँ पर पाबंदियाँ

- 1 रब ने मूसा से कहा,
- 2 “इसराईलियों को बता कि जब किसी औरत के लड़का पैदा हो तो वह माहवारी के ऐयाम की तरह सात दिन तक नापाक रहेगी।
- 3 आठवें दिन लड़के का खतना करवाना है।
- 4 फिर माँ मज़ीद 33 दिन इंतज़ार करे। इसके बाद उस की वह नापाकी दूर हो जाएगी जो खून बहने से पैदा हुई है। इस दौरान वह कोई मखसूस और मुकद्दस चीज़ न छुए, न मकदिस के पास जाए।
- 5 अगर उसके लड़की पैदा हो जाए तो वह माहवारी के ऐयाम की तरह नापाक है। यह नापाकी 14 दिन तक रहेगी। फिर वह मज़ीद 66 दिन इंतज़ार करे। इसके बाद उस की वह नापाकी दूर हो जाएगी जो खून बहने से पैदा हुई है।
- 6 जब लड़के या लड़की के सिलसिले में यह दिन गुज़र जाएँ तो वह मुलाक़ात के ख़ैमे के दरवाज़े पर इमाम को ज़ैल की चीज़ें दे : भस्म होनेवाली कुरबानी के लिए एक यकसाला भेड़ का बच्चा और गुनाह की कुरबानी के लिए एक जवान कबूतर या कुम्री।
- 7 इमाम यह जानवर रब को पेश करके उसका कफ़फ़ारा दे। फिर खून बहने के बाइस पैदा होनेवाली नापाकी दूर हो जाएगी। उसूल एक ही है, चाहे लड़का हो या लड़की।
- 8 अगर वह ग़ुरबत के बाइस भेड़ का बच्चा न दे सके तो फिर वह दो कुम्रियाँ या दो जवान कबूतर ले आए, एक भस्म होनेवाली कुरबानी के लिए और दूसरा गुनाह की कुरबानी के लिए। यों इमाम उसका कफ़फ़ारा दे और वह पाक हो जाएगी।”

13

जिल्दी बीमारियाँ

- 1 रब ने मूसा और हारून से कहा,
- 2 “अगर किसी की जिल्द में सूजन या पपड़ी या सफ़ेद दाग़ हो और ख़तरा है कि वबाई जिल्दी बीमारी हो तो उसे इमामों यानी हारून या उसके बेटों के पास ले आना है।

3 इमाम उस जगह का मुआयना करे। अगर उसके बाल सफेद हो गए हों और वह जिल्द में धँसी हुई हो तो वबाई बीमारी है। जब इमाम को यह मालूम हो तो वह उसे नापाक करार दे।

4 लेकिन हो सकता है कि जिल्द की जगह सफेद तो है लेकिन जिल्द में धँसी हुई नहीं है, न उसके बाल सफेद हुए हैं। इस सूरत में इमाम उस शख्स को सात दिन के लिए अलहदगी में रखे।

5 सातवें दिन इमाम दुबारा उसका मुआयना करे। अगर वह देखे कि मुतअस्सिरा जगह वैसी ही है और फैली नहीं तो वह उसे मज़ीद सात दिन अलहदगी में रखे।

6 सातवें दिन वह एक और मरतबा उसका मुआयना करे। अगर उस जगह का रंग दुबारा सेहतमंद जिल्द के रंग की मानिंद हो रहा हो और फैली न हो तो वह उसे पाक करार दे। इसका मतलब है कि यह मरज़ आम पपड़ी से ज़्यादा नहीं है। मरीज़ अपने कपड़े धो ले तो वह पाक हो जाएगा।

7 लेकिन अगर इसके बाद मुतअस्सिरा जगह फैलने लगे तो वह दुबारा अपने आपको इमाम को दिखाए।

8 इमाम उसका मुआयना करे। अगर जगह वाकई फैल गई हो तो इमाम उसे नापाक करार दे, क्योंकि यह वबाई जिल्दी मरज़ है।

9 अगर किसी के जिस्म पर वबाई जिल्दी मरज़ नज़र आए तो उसे इमाम के पास लाया जाए।

10 इमाम उसका मुआयना करे। अगर मुतअस्सिरा जिल्द में सफेद सूजन हो, उसके बाल भी सफेद हो गए हों, और उसमें कच्चा गोشت मौजूद हो

11 तो इसका मतलब है कि वबाई जिल्दी बीमारी पुरानी है। इमाम उस शख्स को सात दिन के लिए अलहदगी में रखकर इंतज़ार न करे बल्कि उसे फ़ौरन नापाक करार दे, क्योंकि यह उस की नापाकी का सबूत है।

12 लेकिन अगर बीमारी जल्दी से फैल गई हो, यहाँ तक कि सर से लेकर पाँव तक पूरी जिल्द मुतअस्सिर हुई हो

13 तो इमाम यह देखकर मरीज़ को पाक करार दे। चूँकि पूरी जिल्द सफेद हो गई है इसलिए वह पाक है।

14 लेकिन जब भी कहीं कच्चा गोشت नज़र आए उस वक़्त वह नापाक हो जाता है।

15 इमाम यह देखकर मरीज़ को नापाक करार दे। कच्चा गोشت हर सूरत में नापाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि वबाई जिल्दी बीमारी लग गई है।

16 अगर कच्चे गोश्त का यह ज़खम भर जाए और मुतअस्सिरा जगह की जिल्द सफेद हो जाए तो मरीज़ इमाम के पास जाए।

17 अगर इमाम देखे कि वाकई ऐसा ही हुआ है और मुतअस्सिरा जिल्द सफेद हो गई है तो वह उसे पाक करार दे।

18 अगर किसी की जिल्द पर फोड़ा हो लेकिन वह ठीक हो जाए

19 और उस की जगह सफेद सूजन या सुरखी-मायल सफेद दाग नज़र आए तो मरीज़ अपने आपको इमाम को दिखाए।

20 अगर वह उसका मुआयना करके देखे कि मुतअस्सिरा जगह जिल्द के अंदर धँसी हुई है और उसके बाल सफेद हो गए हैं तो वह मरीज़ को नापाक करार दे। क्योंकि इसका मतलब है कि जहाँ पहले फोड़ा था वहाँ वबाई जिल्दी बीमारी पैदा हो गई है।

21 लेकिन अगर इमाम देखे कि मुतअस्सिरा जगह के बाल सफेद नहीं हैं, वह जिल्द में धँसी हुई नज़र नहीं आती और उसका रंग दुबारा सेहतमंद जिल्द की मानिंद हो रहा है तो वह उसे सात दिन के लिए अलहदगी में रखे।

22 अगर इस दौरान बीमारी मज़ीद फैल जाए तो इमाम मरीज़ को नापाक करार दे, क्योंकि इसका मतलब है कि वबाई जिल्दी बीमारी लग गई है।

23 लेकिन अगर दाग न फैले तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ़ उस भरे हुए ज़खम का निशान है जो फोड़े से पैदा हुआ था। इमाम मरीज़ को पाक करार दे।

24 अगर किसी की जिल्द पर जलने का ज़खम लग जाए और मुतअस्सिरा जगह पर सुरखी-मायल सफेद दाग या सफेद दाग पैदा हो जाए

25 तो इमाम मुतअस्सिरा जगह का मुआयना करे। अगर मालूम हो जाए कि मुतअस्सिरा जगह के बाल सफेद हो गए हैं और वह जिल्द में धँसी हुई है तो इसका मतलब है कि चोट की जगह पर वबाई जिल्दी मरज़ लग गया है। इमाम उसे नापाक करार दे, क्योंकि वबाई जिल्दी बीमारी लग गई है।

26 लेकिन अगर इमाम ने मालूम किया है कि दाग में बाल सफेद नहीं हैं, वह जिल्द में धँसा हुआ नज़र नहीं आता और उसका रंग सेहतमंद जिल्द की मानिंद हो रहा है तो वह मरीज़ को सात दिन तक अलहदगी में रखे।

27 अगर वह सातवें दिन मालूम करे कि मुतअस्सिरा जगह फैल गई है तो वह उसे नापाक करार दे। क्योंकि इसका मतलब है कि वबाई जिल्दी बीमारी लग गई है।

28 लेकिन अगर दाग फैला हुआ नज़र नहीं आता और मुतअस्सिरा जिल्द का रंग सेहतमंद जिल्द के रंग की मानिंद हो गया है तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ उस भरे हुए ज़ख़म का निशान है जो जलने से पैदा हुआ था। इमाम मरीज़ को पाक करार दे।

29 अगर किसी के सर या दाढ़ी की जिल्द में निशान नज़र आए

30 तो इमाम मुतअस्सिरा जगह का मुआयना करे। अगर वह धँसी हुई नज़र आए और उसके बाल रंग के लिहाज़ से चमकते हुए सोने की मानिंद और बारीक हों तो इमाम मरीज़ को नापाक करार दे। इसका मतलब है कि ऐसी वबाई जिल्दी बीमारी सर या दाढ़ी की जिल्द पर लग गई है जो ख़ारिश पैदा करती है।

31 लेकिन अगर इमाम ने मालूम किया कि मुतअस्सिरा जगह जिल्द में धँसी हुई नज़र नहीं आती अगरचे उसके बालों का रंग बदल गया है तो वह उसे सात दिन के लिए अलहदगी में रखे।

32 सातवें दिन इमाम जिल्द की मुतअस्सिरा जगह का मुआयना करे। अगर वह फैली हुई नज़र नहीं आती और उसके बालों का रंग चमकदार सोने की मानिंद नहीं है, साथ ही वह जगह जिल्द में धँसी हुई भी दिखाई नहीं देती,

33 तो मरीज़ अपने बाल मुँडवाए। सिर्फ वह बाल रह जाएँ जो मुतअस्सिरा जगह से निकलते हैं। इमाम मरीज़ को मज़ीद सात दिन अलहदगी में रखे।

34 सातवें दिन वह उसका मुआयना करे। अगर मुतअस्सिरा जगह नहीं फैली और वह जिल्द में धँसी हुई नज़र नहीं आती तो इमाम उसे पाक करार दे। वह अपने कपड़े धो ले तो वह पाक हो जाएगा।

35 लेकिन अगर इसके बाद जिल्द की मुतअस्सिरा जगह फैलना शुरू हो जाए

36 तो इमाम दुबारा उसका मुआयना करे। अगर वह जगह वाकई फैली हुई नज़र आए तो मरीज़ नापाक है, चाहे मुतअस्सिरा जगह के बालों का रंग चमकते सोने की मानिंद हो या न हो।

37 लेकिन अगर उसके खयाल में मुतअस्सिरा जगह फैली हुई नज़र नहीं आती बल्कि उसमें से काले रंग के बाल निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मरीज़ की सेहत बहाल हो गई है। इमाम उसे पाक करार दे।

38 अगर किसी मर्द या औरत की जिल्द पर सफ़ेद दाग पैदा हो जाएँ

39 तो इमाम उनका मुआयना करे। अगर उनका सफ़ेद रंग हलका-सा हो तो यह सिर्फ बेज़रर पपड़ी है। मरीज़ पाक है।

40-41 अगर किसी मर्द का सर माथे की तरफ या पीछे की तरफ गंजा है तो वह पाक है।

42 लेकिन अगर उस जगह जहाँ वह गंजा है सुरखी-मायल सफेद दाग हो तो इसका मतलब है कि वहाँ वबाई जिल्दी बीमारी लग गई है।

43 इमाम उसका मुआयना करे। अगर गंजी जगह पर सुरखी-मायल सफेद सूजन हो जो वबाई जिल्दी बीमारी की मानिंद नज़र आए

44 तो मरीज़ को वबाई जिल्दी बीमारी लग गई है। इमाम उसे नापाक करार दे।

नापाक मरीज़ का सुलूक

45 वबाई जिल्दी बीमारी का मरीज़ फटे कपड़े पहने। उसके बाल बिखरे रहें। वह अपनी मूँछों को किसी कपड़े से छुपाए और पुकारता रहे, 'नापाक, नापाक।'

46 जिस वक़्त तक वबाई जिल्दी बीमारी लगी रहे वह नापाक है। वह इस दौरान ख़ैमागाह के बाहर जाकर तनहाई में रहे।

फफूँदी से निपटने का तरीका

47 हो सकता है कि ऊन या कतान के किसी लिबास पर फफूँदी लग गई है,

48 या कि फफूँदी ऊन या कतान के किसी कपड़े के टुकड़े या किसी चमड़े या चमड़े की किसी चीज़ पर लग गई है।

49 अगर फफूँदी का रंग हरा या लाल-सा हो तो वह फैलनेवाली फफूँदी है, और लाज़िम है कि उसे इमाम को दिखाया जाए।

50 इमाम उसका मुआयना करके उसे सात दिन के लिए अलहदगी में रखे।

51 सातवें दिन वह दुबारा उसका मुआयना करे। अगर फफूँदी फैल गई हो तो इसका मतलब है कि वह नुक़सानदेह है। मुतअस्सिरा चीज़ नापाक है।

52 इमाम उसे जला दे, क्योंकि यह फफूँदी नुक़सानदेह है। लाज़िम है कि उसे जला दिया जाए।

53 लेकिन अगर इन सात दिनों के बाद फफूँदी फैली हुई नज़र नहीं आती

54 तो इमाम हुक्म दे कि मुतअस्सिरा चीज़ को धुलवाया जाए। फिर वह उसे मज़ीद सात दिन के लिए अलहदगी में रखे।

55 इसके बाद वह दुबारा उसका मुआयना करे। अगर वह मालूम करे कि फफूँदी तो फैली हुई नज़र नहीं आती लेकिन उसका रंग वैसे का वैसा है तो वह नापाक है। उसे जला देना, चाहे फफूँदी मुतअस्सिरा चीज़ के सामनेवाले हिस्से या पिछले हिस्से में लगी हो।

56 लेकिन अगर मालूम हो जाए कि फफूँदी का रंग माँद पड़ गया है तो इमाम कपड़े या चमड़े में से मुतअस्सिरा जगह फाड़कर निकाल दे।

57 तो भी हो सकता है कि फफूँदी दुबारा उसी कपड़े या चमड़े पर नज़र आए। इसका मतलब है कि वह फैल रही है और उसे जला देना लाज़िम है।

58 लेकिन अगर फफूँदी धोने के बाद गायब हो जाए तो उसे एक और दफ़ा धोना है। फिर मुतअस्सिरा चीज़ पाक होगी।

59 इसी तरह फफूँदी से निपटना है, चाहे वह ऊन या कतान के किसी लिबास को लग गई हो, चाहे ऊन या कतान के किसी टुकड़े या चमड़े की किसी चीज़ को लग गई हो। इन्हीं उसूलों के तहत फ़ैसला करना है कि मुतअस्सिरा चीज़ पाक है या नापाक।”

14

वबाई जिल्दी बीमारी के मरीज़ की शफ़ा पर क़ुरबानी

1 रब ने मूसा से कहा,

2 “अगर कोई शख्स जिल्दी बीमारी से शफ़ा पाए और उसे पाक-साफ़ कराना है तो उसे इमाम के पास लाया जाए

3 जो ख़ैमागाह के बाहर जाकर उसका मुआयना करे। अगर वह देखे कि मरीज़ की सेहत वाकई बहाल हो गई है

4 तो इमाम उसके लिए दो ज़िंदा और पाक परिदे, देवदार की लकड़ी, किरमिज़ी रंग का धागा और ज़ूफ़ा मँगवाए।

5 इमाम के हुक्म पर परिदों में से एक को ताज़ा पानी से भरे हुए मिट्टी के बरतन के ऊपर ज़बह किया जाए।

6 इमाम ज़िंदा परिदे को देवदार की लकड़ी, किरमिज़ी रंग के धागे और ज़ूफ़ा के साथ ज़बह किए गए परिदे के उस खून में डुबो दे जो मिट्टी के बरतन के पानी में आ गया है।

7 वह पानी से मिलाया हुआ खून सात बार पाक होनेवाले शख्स पर छिड़ककर उसे पाक करार दे, फिर ज़िंदा परिदे को खुले मैदान में छोड़ दे।

8 जो अपने आपको पाक-साफ़ करा रहा है वह अपने कपड़े धोए, अपने तमाम बाल मुँडवाए और नहा ले। इसके बाद वह पाक है। अब वह ख़ैमागाह में दाखिल हो सकता है अगरचे वह मज़ीद सात दिन अपने डेरे में नहीं जा सकता।

9 सातवें दिन वह दुबारा अपने सर के बाल, अपनी दाढ़ी, अपने अबरू और बाक्री तमाम बाल मुँडवाए। वह अपने कपड़े धोए और नहा ले। तब वह पाक है।

10 आठवें दिन वह दो भेड़ के नर बच्चे और एक यकसाला भेड़ चुन ले जो बेऐब हों। साथ ही वह गल्ला की नज़र के लिए तेल के साथ मिलाया गया साढ़े 4 किलोग्राम बेहतरीन मैदा और 300 मिलीलिटर तेल ले।

11 फिर जिस इमाम ने उसे पाक करार दिया वह उसे इन कुरबानियों समेत मुलाकात के ख़ैमे के दरवाज़े पर रब को पेश करे।

12 भेड़ का एक नर बच्चा और 300 मिलीलिटर तेल कुसूर की कुरबानी के लिए है। इमाम उन्हें हिलानेवाली कुरबानी के तौर पर रब के सामने हिलाए।

13 फिर वह भेड़ के इस बच्चे को ख़ैमे के दरवाज़े पर ज़बह करे जहाँ गुनाह की कुरबानियाँ और भस्म होनेवाली कुरबानियाँ ज़बह की जाती हैं। गुनाह की कुरबानियों की तरह कुसूर की यह कुरबानी इमाम का हिस्सा है और निहायत मुक़द्दस है।

14 इमाम खून में से कुछ लेकर पाक होनेवाले के दहने कान की लौ पर और उसके दहने हाथ और दहने पाँव के अंगूठों पर लगाए।

15 अब वह 300 मिलीलिटर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएँ हाथ की हथेली पर डाले।

16 अपने दहने हाथ के अंगूठे के साथवाली उँगली इस तेल में डुबोकर वह उसे सात बार रब के सामने छिड़के।

17 वह अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ और लेकर पाक होनेवाले के दहने कान की लौ पर और उसके दहने हाथ और दहने पाँव के अंगूठों पर लगा दे यानी उन जगहों पर जहाँ वह कुसूर की कुरबानी का खून लगा चुका है।

18 इमाम अपनी हथेली पर का बाक़ी तेल पाक होनेवाले के सर पर डालकर रब के सामने उसका कफ़फ़ारा दे।

19 इसके बाद इमाम गुनाह की कुरबानी चढ़ाकर पाक होनेवाले का कफ़फ़ारा दे। आखिर में वह भस्म होनेवाली कुरबानी का जानवर ज़बह करे।

20 वह उसे गल्ला की नज़र के साथ कुरबानगाह पर चढ़ाकर उसका कफ़फ़ारा दे। तब वह पाक है।

21 अगर शफ़ाय़ाब शख्स ग़ुरबत के बाइस यह कुरबानियाँ नहीं चढ़ा सकता तो फिर वह कुसूर की कुरबानी के लिए भेड़ का सिर्फ़ एक नर बच्चा ले आए। काफ़ी

है कि कफ़फ़ारा देने के लिए यही रब के सामने हिलाया जाए। साथ साथ गल्ला की नज़र के लिए डेढ़ किलोग्राम बेहतरीन मैदा तेल के साथ मिलाकर पेश किया जाए और 300 मिलीलिटर तेल।

22 इसके अलावा वह दो कुम्रियाँ या दो जवान कबूतर पेश करे, एक को गुनाह की कुरबानी के लिए और दूसरे को भस्म होनेवाली कुरबानी के लिए।

23 आठवें दिन वह उन्हें मुलाकात के ख़ैमे के दरवाज़े पर इमाम के पास और रब के सामने ले आए ताकि वह पाक-साफ़ हो जाए।

24 इमाम भेड़ के बच्चे को 300 मिलीलिटर तेल समेत लेकर हिलानेवाली कुरबानी के तौर पर रब के सामने हिलाए।

25 वह कुसूर की कुरबानी के लिए भेड़ के बच्चे को ज़बह करे और उसके खून में से कुछ लेकर पाक होनेवाले के दहने कान की लौ पर और उसके दहने हाथ और दहने पाँव के अंगूठों पर लगाए।

26 अब वह 300 मिलीलिटर तेल में से कुछ अपने बाएँ हाथ की हथेली पर डाले

27 और अपने दहने हाथ के अंगूठे के साथवाली उँगली इस तेल में डुबोकर उसे सात बार रब के सामने छिड़क दे।

28 वह अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ और लेकर पाक होनेवाले के दहने कान की लौ पर और उसके दहने हाथ और दहने पाँव के अंगूठों पर लगा दे यानी उन जगहों पर जहाँ वह कुसूर की कुरबानी का खून लगा चुका है।

29 अपनी हथेली पर का बाक़ी तेल वह पाक होनेवाले के सर पर डाल दे ताकि रब के सामने उसका कफ़फ़ारा दे।

30 इसके बाद वह शफ़ायाब शरख़ की गुंजाइश के मुताबिक़ दो कुम्रियाँ या दो जवान कबूतर चढ़ाए,

31 एक को गुनाह की कुरबानी के लिए और दूसरे को भस्म होनेवाली कुरबानी के लिए। साथ ही वह गल्ला की नज़र पेश करे। यों इमाम रब के सामने उसका कफ़फ़ारा देता है।

32 यह उसूल ऐसे शरख़ के लिए है जो वबाई ज़िल्दी बीमारी से शफ़ा पा गया है लेकिन अपनी ग़ुरबत के बाइस पाक हो जाने के लिए पूरी कुरबानी पेश नहीं कर सकता।”

घरों में फफ़ूँदी

33 रब ने मूसा और हारून से कहा,

34 “जब तुम मुल्के-कनान में दाखिल होगे जो मैं तुम्हें दूँगा तो वहाँ ऐसे मकान होंगे जिनमें मैंने फफूँदी फैलने दी है।

35 ऐसे घर का मालिक जाकर इमाम को बताए कि मैंने अपने घर में फफूँदी जैसी कोई चीज़ देखी है।

36 तब इमाम हुक्म दे कि घर का मुआयना करने से पहले घर का पूरा सामान निकाला जाए। वरना अगर घर को नापाक करार दिया जाए तो सामान को भी नापाक करार दिया जाएगा। इसके बाद इमाम अंदर जाकर मकान का मुआयना करे।

37 वह दीवारों के साथ लगी हुई फफूँदी का मुआयना करे। अगर मुतअस्सिरा जगहें हरी या लाल-सी हों और दीवार के अंदर धँसी हुई नज़र आएँ

38 तो फिर इमाम घर से निकलकर सात दिन के लिए ताला लगाए।

39 सातवें दिन वह वापस आकर मकान का मुआयना करे। अगर फफूँदी फैली हुई नज़र आए

40 तो वह हुक्म दे कि मुतअस्सिरा पत्थरों को निकालकर आबादी के बाहर किसी नापाक जगह पर फेंका जाए।

41 नीज़ वह हुक्म दे कि अंदर की दीवारों को कुरेदा जाए और कुरेदी हुई मिट्टी को आबादी के बाहर किसी नापाक जगह पर फेंका जाए।

42 फिर लोग नए पत्थर लगाकर घर को नए गारे से पलस्तर करें।

43 लेकिन अगर इसके बावजूद फफूँदी दुबारा पैदा हो जाए

44 तो इमाम आकर दुबारा उसका मुआयना करे। अगर वह देखे कि फफूँदी घर में फैल गई है तो इसका मतलब है कि फफूँदी नुकसानदेह है, इसलिए घर नापाक है।

45 लाज़िम है कि उसे पूरे तौर पर ढा दिया जाए और सब कुछ यानी उसके पत्थर, लकड़ी और पलस्तर को आबादी के बाहर किसी नापाक जगह पर फेंका जाए।

46 अगर इमाम ने किसी घर का मुआयना करके ताला लगा दिया है और फिर भी कोई उस घर में दाखिल हो जाए तो वह शाम तक नापाक रहेगा।

47 जो ऐसे घर में सोए या खाना खाए लाज़िम है कि वह अपने कपड़े धो ले।

48 लेकिन अगर घर को नए सिरे से पलस्तर करने के बाद इमाम आकर उसका दुबारा मुआयना करे और देखे कि फफूँदी दुबारा नहीं निकली तो इसका मतलब है कि फफूँदी ख़त्म हो गई है। वह उसे पाक करार दे।

49 उसे गुनाह से पाक-साफ़ कराने के लिए वह दो परिदे, देवदार की लकड़ी, किरमिजी रंग का धागा और जूफ़ा ले ले।

50 वह परिदों में से एक को ताज़ा पानी से भरे हुए मिट्टी के बरतन के ऊपर ज़बह करे।

51 इसके बाद वह देवदार की लकड़ी, जूफ़ा, किरमिजी रंग का धागा और जिंदा परिदा लेकर उस ताज़ा पानी में डुबो दे जिसके साथ ज़बह किए हुए परिदे का खून मिलाया गया है और इस पानी को सात बार घर पर छिड़क दे।

52 इन चीज़ों से वह घर को गुनाह से पाक-साफ़ करता है।

53 आखिर में वह जिंदा परिदे को आबादी के बाहर खुले मैदान में छोड़ दे। यों वह घर का कफ़ारा देगा, और वह पाक-साफ़ हो जाएगा।

54-56 लाज़िम है कि हर किस्म की वबाई बीमारी से ऐसे निपटो जैसे बयान किया गया है, चाहे वह वबाई जिल्दी बीमारियाँ हों (मसलन ख़ारिश, सूजन, पपड़ी या सफ़ेद दाग़), चाहे कपड़ों या घरों में फफूँदी हो।

57 इन उसूलों के तहत फ़ैसला करना है कि कोई शख्स या चीज़ पाक है या नापाक।”

15

मर्दों की नापाकी

1 रब ने मूसा और हारून से कहा,

2 “इसराईलियों को बताना कि अगर किसी मर्द को जरयान का मरज़ हो तो वह ख़ारिज होनेवाले माए के सबब से नापाक है,

3 चाहे माए बहता रहता हो या रुक गया हो।

4 जिस चीज़ पर भी मरीज़ लेटता या बैठता है वह नापाक है।

5-6 जो भी उसके लेटने की जगह को छुए या उसके बैठने की जगह पर बैठ जाए वह अपने कपड़े धोकर नहा ले। वह शाम तक नापाक रहेगा।

7 इसी तरह जो भी ऐसे मरीज़ को छुए वह अपने कपड़े धोकर नहा ले। वह शाम तक नापाक रहेगा।

8 अगर मरीज़ किसी पाक शख्स पर थूके तो यही कुछ करना है और वह शख्स शाम तक नापाक रहेगा।

9 जब ऐसा मरीज़ किसी जानवर पर सवार होता है तो हर चीज़ जिस पर वह बैठ जाता है नापाक है।

10 जो भी ऐसी चीज़ छुए या उसे उठाकर ले जाए वह अपने कपड़े धोकर नहा ले। वह शाम तक नापाक रहेगा।

11 जिस किसी को भी मरीज़ अपने हाथ धोए बग़ैर छुए वह अपने कपड़े धोकर नहा ले। वह शाम तक नापाक रहेगा।

12 मिट्टी का जो बरतन ऐसा मरीज़ छुए उसे तोड़ दिया जाए। लकड़ी का जो बरतन वह छुए उसे ख़ूब धोया जाए।

13 जिसे इस मरज़ से शफ़ा मिली है वह सात दिन इंतज़ार करे। इसके बाद वह ताज़ा पानी से अपने कपड़े धोकर नहा ले। फिर वह पाक हो जाएगा।

14 आठवें दिन वह दो कुम्रियाँ या दो जवान कबूतर लेकर मुलाकात के ख़ैमे के दरवाज़े पर रब के सामने इमाम को दे।

15 इमाम उनमें से एक को गुनाह की कुरबानी के तौर पर और दूसरे को भस्म होनेवाली कुरबानी के तौर पर चढ़ाए। यों वह रब के सामने उसका कफ़फ़ारा देगा।

16 अगर किसी मर्द का नुतफ़ा ख़ारिज हो जाए तो वह अपने पूरे जिस्म को धो ले। वह शाम तक नापाक रहेगा।

17 हर कपड़ा या चमड़ा जिससे नुतफ़ा लग गया हो उसे धोना है। वह भी शाम तक नापाक रहेगा।

18 अगर मर्द और औरत के हमबिसतर होने पर नुतफ़ा ख़ारिज हो जाए तो लाज़िम है कि दोनों नहा लें। वह शाम तक नापाक रहेंगे।

औरतों की नापाकी

19 माहवारी के वक़्त औरत सात दिन तक नापाक है। जो भी उसे छुए वह शाम तक नापाक रहेगा।

20 इस दौरान जिस चीज़ पर भी वह लेटती या बैठती है वह नापाक है।

21-23 जो भी उसके लेटने की जगह को छुए या उसके बैठने की जगह पर बैठ जाए वह अपने कपड़े धोकर नहा ले। वह शाम तक नापाक रहेगा।

24 अगर मर्द औरत से हमबिसतर हो और उसी वक़्त माहवारी के दिन शुरू हो जाएँ तो मर्द खून लगने के बाइस सात दिन तक नापाक रहेगा। जिस चीज़ पर भी वह लेटता है वह नापाक हो जाएगी।

25 अगर किसी औरत को माहवारी के दिन छोड़कर किसी और वक़्त कई दिनों तक खून आए या खून माहवारी के दिनों के बाद भी जारी रहे तो वह माहवारी के दिनों की तरह उस वक़्त तक नापाक रहेगी जब तक खून स्क न जाए।

26 जिस चीज़ पर भी वह लेटती या बैठती है वह नापाक है।

27 जो भी ऐसी चीज़ को छुए वह अपने कपड़े धोकर नहा ले। वह शाम तक नापाक रहेगा।

28 खून के रूक जाने पर औरत मज़ीद सात दिन इंतज़ार करे। फिर वह पाक होगी।

29 आठवें दिन वह दो कुम्रियाँ या दो जवान कबूतर लेकर मुलाकात के ख़ैमे के दरवाज़े पर इमाम के पास आए।

30 इमाम उनमें से एक को गुनाह की कुरबानी के लिए और दूसरे को भस्म होनेवाली कुरबानी के लिए चढ़ाए। यों वह रब के सामने उस की नापाकी का कफ़फ़ारा देगा।

31 लाज़िम है कि इसराईलियों को ऐसी चीज़ों से दूर रखा जाए जिनसे वह नापाक हो जाएँ। वरना मेरा वह मक़दिस जो उनके दरमियान है उनसे नापाक हो जाएगा और वह हलाक हो जाएंगे।

32 लाज़िम है कि इस किस्म के मामलों से ऐसे निपटो जैसे बयान किया गया है। इसमें वह मर्द शामिल है जो जरयान का मरीज़ है और वह जो नुतफ़ा ख़ारिज होने के बाइस नापाक है।

33 इसमें वह औरत भी शामिल है जिसके माहवारी के ऐयाम हैं और वह मर्द जो नापाक औरत से हमबिसतर हो जाता है।”

16

यौमे-कफ़फ़ारा

1 जब हासून के दो बेटे रब के करीब आकर हलाक हुए तो इसके बाद रब मूसा से हमकलाम हुआ।

2 उसने कहा,

“अपने भाई हासून को बताना कि वह सिर्फ़ मुकर्ररा वक़्त पर परदे के पीछे मुक़द्दसतरीन कमरे में दाख़िल होकर अहद के संदूक के ढकने के सामने खड़ा हो जाए, वरना वह मर जाएगा। क्योंकि मैं खुद उस ढकने के ऊपर बादल की सूरत में ज़ाहिर होता हूँ।

3 और जब भी वह दाख़िल हो तो गुनाह की कुरबानी के लिए एक जवान बैल और भस्म होनेवाली कुरबानी के लिए एक मेंढा पेश करे।

4 पहले वह नहाकर इमाम के कतान के मुकद्दस कपड़े पहन ले यानी जेरजामा, उसके नीचे पाजामा, फिर कमरबंद और पगड़ी।

5 इसराईल की जमात हास्न को गुनाह की कुरबानी के लिए दो बकरे और भस्म होनेवाली कुरबानी के लिए एक मेंढा दे।

6 पहले हास्न अपने और अपने घराने के लिए जवान बैल को गुनाह की कुरबानी के तौर पर चढ़ाए।

7 फिर वह दोनों बकरों को मुलाकात के खैमे के दरवाजे पर रब के सामने ले आए।

8 वहाँ वह कुरा डालकर एक को रब के लिए चुने और दूसरे को अज़ाज़ेल के लिए।

9 जो बकरा रब के लिए है उसे वह गुनाह की कुरबानी के तौर पर पेश करे।

10 दूसरा बकरा जो कुरे के ज़रीए अज़ाज़ेल के लिए चुना गया उसे ज़िंदा हालत में रब के सामने खड़ा किया जाए ताकि वह जमात का कफ़ारा दे। वहाँ से उसे रेगिस्तान में अज़ाज़ेल के पास भेजा जाए।

11 लेकिन पहले हास्न जवान बैल को गुनाह की कुरबानी के तौर पर चढ़ाकर अपना और अपने घराने का कफ़ारा दे। उसे ज़बह करने के बाद

12 वह बखूर की कुरबानगाह से जलते हुए कोयलों से भरा हुआ बरतन लेकर अपनी दोनों मुठियाँ बारीक ख़ुशबूदार बखूर से भर ले और मुकद्दसतरीन कमरे में दाख़िल हो जाए।

13 वहाँ वह रब के हुज़ूर बखूर को जलते हुए कोयलों पर डाल दे। इससे पैदा होनेवाला धुआँ अहद के संदूक का ढकना छुपा देगा ताकि हास्न मर न जाए।

14 अब वह जवान बैल के खून में से कुछ लेकर अपनी उँगली से ढकने के सामनेवाले हिस्से पर छिड़के, फिर कुछ अपनी उँगली से सात बार उसके सामने ज़मीन पर छिड़के।

15 इसके बाद वह उस बकरे को ज़बह करे जो कौम के लिए गुनाह की कुरबानी है। वह उसका खून मुकद्दसतरीन कमरे में ले आए और उसे बैल के खून की तरह अहद के संदूक के ढकने पर और सात बार उसके सामने ज़मीन पर छिड़के।

16 यों वह मुकद्दसतरीन कमरे का कफ़ारा देगा जो इसराईलियों की नापाकियों और तमाम गुनाहों से मुतअस्सिर होता रहता है। इससे वह मुलाकात के पूरे खैमे

का भी कफ़फ़ारा देगा जो ख़ैमागाह के दरमियान होने के बाइस इसराईलियों की नापाकियों से मुतअस्सिर होता रहता है।

17 जितना वक्त हासून अपना, अपने घराने का और इसराईल की पूरी जमात का कफ़फ़ारा देने के लिए मुक़द्दसतरीन कमरे में रहेगा इस दौरान किसी दूसरे को मुलाकात के ख़ैमे में ठहरने की इजाज़त नहीं है।

18 फिर वह मुक़द्दसतरीन कमरे से निकलकर ख़ैमे में रब के सामने पड़ी कुरबानगाह का कफ़फ़ारा दे। वह बैल और बकरे के खून में से कुछ लेकर उसे कुरबानगाह के चारों सींगों पर लगाए।

19 कुछ खून वह अपनी उँगली से सात बार उस पर छिड़क दे। यों वह उसे इसराईलियों की नापाकियों से पाक करके मखसूसो-मुक़द्दस करेगा।

20 मुक़द्दसतरीन कमरे, मुलाकात के ख़ैमे और कुरबानगाह का कफ़फ़ारा देने के बाद हासून जिंदा बकरे को सामने लाए।

21 वह अपने दोनों हाथ उसके सर पर रखे और इसराईलियों के तमाम कुसूर यानी उनके तमाम जरायम और गुनाहों का इक्कार करके उन्हें बकरे के सर पर डाल दे। फिर वह उसे रेगिस्तान में भेज दे। इसके लिए वह बकरे को एक आदमी के सुपुर्द करे जिसे यह ज़िम्मादारी दी गई है।

22 बकरा अपने आप पर उनका तमाम कुसूर उठाकर किसी वीरान जगह में ले जाएगा। वहाँ साथवाला आदमी उसे छोड़ आए।

23 इसके बाद हासून मुलाकात के ख़ैमे में जाए और कतान के वह कपड़े जो उसने मुक़द्दसतरीन कमरे में दाखिल होने से पेशतर पहन लिए थे उतारकर वहीं छोड़ दे।

24 वह मुक़द्दस जगह पर नहाकर अपनी ख़िदमत के आम कपड़े पहन ले। फिर वह बाहर आकर अपने और अपनी क्रौम के लिए भस्म होनेवाली कुरबानी पेश करे ताकि अपना और अपनी क्रौम का कफ़फ़ारा दे।

25 इसके अलावा वह गुनाह की कुरबानी की चरबी कुरबानगाह पर जला दे।

26 जो आदमी अज़ाज़ेल के लिए बकरे को रेगिस्तान में छोड़ आया है वह अपने कपड़े धोकर नहा ले। इसके बाद वह ख़ैमागाह में आ सकता है।

27 जिस बैल और बकरे को गुनाह की कुरबानी के लिए पेश किया गया और जिनका खून कफ़फ़ारा देने के लिए मुक़द्दसतरीन कमरे में लाया गया, लाज़िम है कि उनकी खालें, गोशत और गोबर ख़ैमागाह के बाहर जला दिया जाए।

28 यह चीजें जलानेवाला बाद में अपने कपड़े धोकर नहा ले। फिर वह खैमागाह में आ सकता है।

29 लाज़िम है कि सातवें महीने के दसवें दिन इसराईली और उनके दरमियान रहनेवाले परदेसी अपनी जान को दुख दें और काम न करें। यह उसूल तुम्हारे लिए अबद तक कायम रहे।

30 इस दिन तुम्हारा कफ़फ़ारा दिया जाएगा ताकि तुम्हें पाक किया जाए। तब तुम रब के सामने अपने तमाम गुनाहों से पाक ठहरोगे।

31 पूरा दिन आराम करो और अपनी जान को दुख दो। यह उसूल अबद तक कायम रहे।

32 इस दिन इमामे-आज़म तुम्हारा कफ़फ़ारा दे, वह इमाम जिसे उसके बाप की जगह मसह किया गया और इख्तियार दिया गया है। वह कतान के मुक़द्दस कपड़े पहनकर

33 मुक़द्दसतरीन कमेरे, मुलाकात के खैमे, कुरबानगाह, इमामों और जमात के तमाम लोगों का कफ़फ़ारा दे।

34 लाज़िम है कि साल में एक दफ़ा इसराईलियों के तमाम गुनाहों का कफ़फ़ारा दिया जाए। यह उसूल तुम्हारे लिए अबद तक कायम रहे।”

सब कुछ वैसे ही किया गया जैसा रब ने मूसा को हुक्म दिया था।

17

कुरबानी चढ़ाने का मक़ाम

1 रब ने मूसा से कहा,

2 “हाज़ून, उसके बेटों और तमाम इसराईलियों को हिदायत देना

3-4 कि जो भी इसराईली अपनी गाय या भेड़-बकरी मुलाकात के खैमे के दरवाज़े पर रब को कुरबानी के तौर पर पेश न करे बल्कि खैमागाह के अंदर या बाहर किसी और जगह पर ज़बह करे वह खून बहाने का कुसूरवार ठहरेगा। उसने खून बहाया है, और लाज़िम है कि उसे उस की कौम में से मिटाया जाए।

5 इस हिदायत का मक़सद यह है कि इसराईली अब से अपनी कुरबानियाँ खुले मैदान में ज़बह न करें बल्कि रब को पेश करें। वह अपने जानवरों को मुलाकात के खैमे के दरवाज़े पर इमाम के पास लाकर उन्हें रब को सलामती की कुरबानी के तौर पर पेश करें।

6 इमाम उनका खून मुलाकात के खैमे के दरवाजे पर की कुरबानगाह पर छिड़के और उनकी चरबी उस पर जला दे। ऐसी कुरबानी की खुशबू रब को पसंद है।

7 अब से इसराईली अपनी कुरबानियाँ उन बकरों के देवताओं को पेश न करें जिनकी पैरवी करके उन्होंने जिना किया है। यह उनके लिए और उनके बाद आनेवाली नसलों के लिए एक दायमी उसूल है।

8 लाजिम है कि हर इसराईली और तुम्हारे दरमियान रहनेवाला परदेसी अपनी भस्म होनेवाली कुरबानी या कोई और कुरबानी

9 मुलाकात के खैमे के दरवाजे पर लाकर रब को पेश करे। वरना उसे उस की क्रौम में से मिटाया जाएगा।

खून खाना मना है

10 खून खाना बिलकुल मना है। जो भी इसराईली या तुम्हारे दरमियान रहनेवाला परदेसी खून खाए मैं उसके खिलाफ हो जाऊँगा और उसे उस की क्रौम में से मिटा डालूँगा।

11 क्योंकि हर मखलूक के खून में उस की जान है। मैंने उसे तुम्हें दे दिया है ताकि वह कुरबानगाह पर तुम्हारा कफ़ारा दे। क्योंकि खून ही उस जान के ज़रीए जो उसमें है तुम्हारा कफ़ारा देता है।

12 इसलिए मैं कहता हूँ कि न कोई इसराईली न कोई परदेसी खून खाए।

13 अगर कोई भी इसराईली या परदेसी किसी जानवर या परिदे का शिकार करके पकड़े जिसे खाने की इजाज़त है तो वह उसे ज़बह करने के बाद उसका पूरा खून ज़मीन पर बहने दे और खून पर मिट्टी डाले।

14 क्योंकि हर मखलूक का खून उस की जान है। इसलिए मैंने इसराईलियों को कहा है कि किसी भी मखलूक का खून न खाओ। हर मखलूक का खून उस की जान है, और जो भी उसे खाए उसे क्रौम में से मिटा देना है।

15 अगर कोई भी इसराईली या परदेसी ऐसे जानवर का गोश्त खाए जो फ़ितरी तौर पर मर गया या जिसे जंगली जानवरों ने फाड़ डाला हो तो वह अपने कपड़े धोकर नहा ले। वह शाम तक नापाक रहेगा।

16 जो ऐसा नहीं करता उसे अपने कुसूर की सज़ा भुगतनी पड़ेगी।”

18

नाजायज़ जिंसी ताल्लुकात

1 रब ने मूसा से कहा,

2 “इसराईलियों को बताना कि मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।

3 मिसरियों की तरह ज़िंदगी न गुज़ारना जिनमें तुम रहते थे। मुल्के-कनान के लोगों की तरह भी ज़िंदगी न गुज़ारना जिनके पास मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। उनके रस्मो-रिवाज न अपनाना।

4 मेरे ही अहकाम पर अमल करो और मेरी हिदायात के मुताबिक चलो। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।

5 मेरी हिदायात और अहकाम के मुताबिक चलना, क्योंकि जो यों करेगा वह जीता रहेगा। मैं रब हूँ।

6 तुममें से कोई भी अपनी करीबी रिश्तेदार से हमबिसतर न हो। मैं रब हूँ।

7 अपनी माँ से हमबिसतर न होना, वरना तेरे बाप की बेहुरमती हो जाएगी। वह तेरी माँ है, इसलिए उससे हमबिसतर न होना।

8 अपने बाप की किसी भी बीवी से हमबिसतर न होना, वरना तेरे बाप की बेहुरमती हो जाएगी।

9 अपनी बहन से हमबिसतर न होना, चाहे वह तेरे बाप या तेरी माँ की बेटी हो, चाहे वह तेरे ही घर में या कहीं और पैदा हुई हो।

10 अपनी पोती या नवासी से हमबिसतर न होना, वरना तेरी अपनी बेहुरमती हो जाएगी।

11 अपने बाप की बीवी की बेटी से हमबिसतर न होना। वह तेरी बहन है।

12 अपनी फूफी से हमबिसतर न होना। वह तेरे बाप की करीबी रिश्तेदार है।

13 अपनी खाला से हमबिसतर न होना। वह तेरी माँ की करीबी रिश्तेदार है।

14 अपने बाप के भाई की बीवी से हमबिसतर न होना, वरना तेरे बाप के भाई की बेहुरमती हो जाएगी। उस की बीवी तेरी चची है।

15 अपनी बहू से हमबिसतर न होना। वह तेरे बेटे की बीवी है।

16 अपनी भाबी से हमबिसतर न होना, वरना तेरे भाई की बेहुरमती हो जाएगी।

17 अगर तेरा ज़िंसी ताल्लुक किसी औरत से हो तो उस की बेटी, पोती या नवासी से हमबिसतर होना मना है, क्योंकि वह उस की करीबी रिश्तेदार हैं। ऐसा करना बड़ी शर्मनाक हरकत है।

18 अपनी बीवी के जीते-जी उस की बहन से शादी न करना।

19 किसी औरत से उस की माहवारी के दिनों में हमबिसतर न होना। इस दौरान वह नापाक है।

20 किसी दूसरे मर्द की बीवी से हमबिसतर न होना, वरना तू अपने आपको नापाक करेगा।

21 अपने किसी भी बच्चे को मलिक देवता को कुरबानी के तौर पर पेश करके जला देना मना है। ऐसी हरकत से तू अपने खुदा के नाम को दाग लगाएगा। मैं रब हूँ।

22 मर्द दूसरे मर्द के साथ जिंसी ताल्लुकात न रखे। ऐसी हरकत काबिले-घिन है।

23 किसी जानवर से जिंसी ताल्लुकात न रखना, वरना तू नापाक हो जाएगा। औरतों के लिए भी ऐसा करना मना है। यह बड़ी शर्मनाक हरकत है।

24 ऐसी हरकतों से अपने आपको नापाक न करना। क्योंकि जो क्रौमैं मैं तुम्हारे आगे मुल्क से निकालूँगा वह इसी तरह नापाक होती रही।

25 मुल्क खुद भी नापाक हुआ। इसलिए मैंने उसे उसके कुसूर के सबब से सज़ा दी, और नतीजे में उसने अपने बाशिंदों को उगल दिया।

26 लेकिन तुम मेरी हिदायात और अहकाम के मुताबिक चलो। न देसी और न परदेसी ऐसी कोई धिनौनी हरकत करें।

27 क्योंकि यह तमाम काबिले-घिन बातें उनसे हुई जो तुमसे पहले इस मुल्क में रहते थे। यों मुल्क नापाक हुआ।

28 लिहाज़ा अगर तुम भी मुल्क को नापाक करोगे तो वह तुम्हें इसी तरह उगल देगा जिस तरह उसने तुमसे पहले मौजूद क्रौमों को उगल दिया।

29 जो भी मज़कूरा धिनौनी हरकतों में से एक करे उसे उस की क्रौम में से मिटाया जाए।

30 मेरे अहकाम के मुताबिक चलते रहो और ऐसे काबिले-घिन रस्मो-रिवाज न अपनाना जो तुम्हारे आने से पहले रायज थे। इनसे अपने आपको नापाक न करना। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।”

19

मुकद्दस क्रौम के लिए हिदायात

1 रब ने मूसा से कहा,

2 “इसराईलियों की पूरी जमात को बताना कि मुकद्दस रहो, क्योंकि मैं रब तुम्हारा खुदा कुद्स हूँ।

3 तुममें से हर एक अपने माँ-बाप की इज्जत करे। हफ्ते के दिन काम न करना। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।

4 न बुतों की तरफ रुजू करना, न अपने लिए देवता ढालना। मैं ही रब तुम्हारा खुदा हूँ।

5 जब तुम रब को सलामती की कुरबानी पेश करते हो तो उसे यों चढाओ कि तुम मंज़ूर हो जाओ।

6 उसका गोश्त उसी दिन या अगले दिन खाया जाए। जो भी तीसरे दिन तक बच जाता है उसे जलाना है।

7 अगर कोई उसे तीसरे दिन खाए तो उसे इल्म होना चाहिए कि यह कुरबानी नापाक है और रब को पसंद नहीं है।

8 ऐसे शख्स को अपने कुसूर की सज़ा उठानी पड़ेगी, क्योंकि उसने उस चीज़ की मुकद्दस हालत खत्म की है जो रब के लिए मखसूस की गई थी। उसे उस की कौम में से मिटाया जाए।

9 कटाई के वक़्त अपनी फ़सल पूरे तौर पर न काटना बल्कि खेत के किनारों पर कुछ छोड़ देना। इस तरह जो कुछ कटाई करते वक़्त खेत में बच जाए उसे छोड़ना।

10 अंगूर के बाग़ों में भी जो कुछ अंगूर तोड़ते वक़्त बच जाए उसे छोड़ देना। जो अंगूर ज़मीन पर गिर जाएँ उन्हें उठाकर न ले जाना। उन्हें गरीबों और परदेसियों के लिए छोड़ देना। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।

11 चोरी न करना, झूट न बोलना, एक दूसरे को धोका न देना।

12 मेरे नाम की कसम खाकर धोका न देना, वरना तुम मेरे नाम को दाग लगाओगे। मैं रब हूँ।

13 एक दूसरे को न दबाना और न लूटना। किसी की मज़दूरी उसी दिन की शाम तक दे देना और उसे अगली सुबह तक रोके न रखना।

14 बहरे को न कोसना, न अंधे के रास्ते में कोई चीज़ रखना जिससे वह ठोकर खाए। इसमें भी अपने खुदा का ख़ौफ़ मानना। मैं रब हूँ।

15 अदालत में किसी की हक़तलफ़ी न करना। फ़ैसला करते वक़्त किसी की भी जानिबदारी न करना, चाहे वह गरीब या असरो-रसख़वाला हो। इनसाफ़ से अपने पड़ोसी की अदालत कर।

16 अपनी कौम में इधर-उधर फिरते हुए किसी पर बहतान न लगाना। कोई भी ऐसा काम न करना जिससे किसी की जान खतरे में पड़ जाए। मैं रब हूँ।

17 दिल में अपने भाई से नफरत न करना। अगर किसी की सरज़निश करनी है तो रूबरू करना, वरना तू उसके सबब से कुसूरवार ठहरेगा।

18 इंतकाम न लेना। अपनी कौम के किसी शख्स पर देर तक तेरा गुस्सा न रहे बल्कि अपने पड़ोसी से वैसी मुहब्बत रखना जैसी तू अपने आपसे रखता है। मैं रब हूँ।

19 मेरी हिदायात पर अमल करो। दो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को मिलाप न करने देना। अपने खेत में दो किस्म के बीज न बोना। ऐसा कपड़ा न पहनना जो दो मुख्तलिफ़ किस्म के धागों का बुना हुआ हो।

20 अगर कोई आदमी किसी लौंडी से जिसकी मँगनी किसी और से हो चुकी हो हमबिसतर हो जाए और लौंडी को अब तक न पैसों से न वैसे ही आज़ाद किया गया हो तो मुनासिब सज़ा दी जाए। लेकिन उन्हें सज़ाए-मौत न दी जाए, क्योंकि उसे अब तक आज़ाद नहीं किया गया।

21 कुसूरवार आदमी मुलाक़ात के ख़ैमे के दरवाज़े पर एक मेंढा ले आए ताकि वह रब को कुसूर की कुरबानी के तौर पर पेश किया जाए।

22 इमाम इस कुरबानी से रब के सामने उसके गुनाह का कफ़फ़ारा दे। यों उसका गुनाह मुआफ़ किया जाएगा।

23 जब मुल्के-कनान में दाखिल होने के बाद तुम फलदार दरख्त लगाओगे तो पहले तीन साल उनका फल न खाना बल्कि उसे ममनू* समझना।

24 चौथे साल उनका तमाम फल खुशी के मुक़द्दस नज़राने के तौर पर रब के लिए मख़सूस किया जाए।

25 पाँचवें साल तुम उनका फल खा सकते हो। यों तुम्हारी फ़सल बढ़ाई जाएगी। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।

26 ऐसा गोशत न खाना जिसमें खून हो। फ़ाल या शुगून न निकालना।

27 अपने सर के बाल गोल शक्ल में न कटवाना, न अपनी दाढ़ी को तराशना।

28 अपने आपको मुरदों के सबब से काटकर ज़ख़मी न करना, न अपनी जिल्द पर नुक़ूश गुदवाना। मैं रब हूँ।

* 19:23 लफ़्ज़ी तरज़ुमा : नामख़तून।

29 अपनी बेटी को कसबी न बनाना, वरना उस की मुकद्दस हालत जाती रहेगी और मुल्क जिनाकारी के बाइस हरामकारी से भर जाएगा।

30 हफते के दिन आराम करना और मेरे मकदिस का एहताराम करना। मैं रब हूँ।

31 ऐसे लोगों के पास न जाना जो मुरदों से राबिता करते हैं, न गैबदानों की तरफ रूजू करना, वरना तुम उनसे नापाक हो जाओगे। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।

32 बूढ़े लोगों के सामने उठकर खड़ा हो जाना, बुजुर्गों की इज्जत करना और अपने खुदा का एहताराम करना। मैं रब हूँ।

33 जो परदेसी तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे दरमियान रहता है उसे न दबाना।

34 उसके साथ ऐसा सुलूक कर जैसा अपने हमवतनों के साथ करता है। जिस तरह तू अपने आपसे मुहब्बत रखता है उसी तरह उससे भी मुहब्बत रखना। याद रहे कि तुम खुद मिसर में परदेसी थे। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।

35 नाइनसाफ़ी न करना। न अदालत में, न लंबाई नापते वक़्त, न तोलते वक़्त और न किसी चीज़ की मिकदार नापते वक़्त।

36 सहीह तराजू, सहीह बाट और सहीह पैमाना इस्तेमाल करना। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ जो तुम्हें मिसर से निकाल लाया हूँ।

37 मेरी तमाम हिदायात और तमाम अहकाम मानो और उन पर अमल करो। मैं रब हूँ।”

20

जरायम की सज़ाएँ

1 रब ने मूसा से कहा,

2 “इसराईलियों को बताना कि तुममें से जो भी अपने बच्चे को मलिक देवता को कुरबानी के तौर पर पेश करे उसे सज़ाए-मौत देनी है। इसमें कोई फ़रक नहीं कि वह इसराईली है या परदेसी। जमात के लोग उसे संगसार करें।

3 मैं खुद ऐसे शख्स के खिलाफ़ हो जाऊँगा और उसे उस की क़ौम में से मिटा डालूँगा। क्योंकि अपने बच्चों को मलिक को पेश करने से उसने मेरे मक़दिस को नापाक किया और मेरे नाम को दाग़ लगाया है।

4 अगर जमात के लोग अपनी आँखें बंद करके ऐसे शख्स की हरकतें नज़रंदाज़ करें और उसे सज़ाए-मौत न दें

5 तो फिर मैं खुद ऐसे शख्स और उसके घराने के खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा। मैं उसे और उन तमाम लोगों को क्रौम में से मिटा डालूँगा जिन्होंने उसके पीछे लगकर मलिक देवता को सिजदा करने से ज़िना किया है।

6 जो शख्स मुरदों से राबिता करने और गैबदानी करनेवालों की तरफ रूजू करता है मैं उसके खिलाफ हो जाऊँगा। उनकी पैरवी करने से वह ज़िना करता है। मैं उसे उस की क्रौम में से मिटा डालूँगा।

7 अपने आपको मेरे लिए मखसूसो-मुकद्दस रखो, क्योंकि मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।

8 मेरी हिदायात मानो और उन पर अमल करो। मैं रब हूँ जो तुम्हें मखसूसो-मुकद्दस करता हूँ।

9 जिसने भी अपने बाप या माँ पर लानत भेजी है उसे सज़ाए-मौत दी जाए। इस हरकत से वह अपनी मौत का खुद ज़िम्मादार है।

10 अगर किसी मर्द ने किसी की बीवी के साथ ज़िना किया है तो दोनों को सज़ाए-मौत देनी है।

11 जो मर्द अपने बाप की बीवी से हमबिसतर हुआ है उसने अपने बाप की बेहुरमती की है। दोनों को सज़ाए-मौत देनी है। वह अपनी मौत के खुद ज़िम्मादार हैं।

12 अगर कोई मर्द अपनी बहू से हमबिसतर हुआ है तो दोनों को सज़ाए-मौत देनी है। जो कुछ उन्होंने किया है वह निहायत शर्मनाक है। वह अपनी मौत के खुद ज़िम्मादार हैं।

13 अगर कोई मर्द किसी दूसरे मर्द से जिंसी ताल्लुकात रखे तो दोनों को इस धिनौनी हरकत के बाइस सज़ाए-मौत देनी है। वह अपनी मौत के खुद ज़िम्मादार हैं।

14 अगर कोई आदमी अपनी बीवी के अलावा उस की माँ से भी शादी करे तो यह एक निहायत शर्मनाक बात है। दोनों को जला देना है ताकि तुम्हारे दरमियान कोई ऐसी खबीस बात न रहे।

15 जो मर्द किसी जानवर से जिंसी ताल्लुकात रखे उसे सज़ाए-मौत देना है। उस जानवर को भी मार दिया जाए।

16 जो औरत किसी जानवर से जिंसी ताल्लुकात रखे उसे सज़ाए-मौत देनी है। उस जानवर को भी मार दिया जाए। वह अपनी मौत के खुद ज़िम्मादार हैं।

17 जिस मर्द ने अपनी बहन से शादी की है उसने शर्मनाक हरकत की है, चाहे वह बाप की बेटी हो या माँ की। उन्हें इसराईली क्रौम की नज़रों से मिटाया जाए। ऐसे शख्स ने अपनी बहन की बेहुरमती की है। इसलिए उसे खुद अपने कुसूर के नतीजे बरदाश्त करने पड़ेंगे।

18 अगर कोई मर्द माहवारी के ऐयाम में किसी औरत से हमबिसतर हुआ है तो दोनों को उनकी क्रौम में से मिटाना है। क्योंकि दोनों ने औरत के खून के मंबा से परदा उठाया है।

19 अपनी खाला या फूफी से हमबिसतर न होना। क्योंकि जो ऐसा करता है वह अपनी करीबी रिश्तेदार की बेहुरमती करता है। दोनों को अपने कुसूर के नतीजे बरदाश्त करने पड़ेंगे।

20 जो अपनी चची या ताई से हमबिसतर हुआ है उसने अपने चचा या ताया की बेहुरमती की है। दोनों को अपने कुसूर के नतीजे बरदाश्त करने पड़ेंगे। वह बेऔलाद मरेंगे।

21 जिसने अपनी भाबी से शादी की है उसने एक नजिस हरकत की है। उसने अपने भाई की बेहुरमती की है। वह बेऔलाद रहेंगे।

22 मेरी तमाम हिदायात और अहकाम को मानो और उन पर अमल करो। वरना जिस मुल्क में मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वह तुम्हें उगल देगा।

23 उन क्रौमों के रस्मो-रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी न गुज़ारना जिन्हें मैं तुम्हारे आगे से निकाल दूँगा। मुझे इस सबब से उनसे धिन आने लगी कि वह यह सब कुछ करते थे।

24 लेकिन तुमसे मैंने कहा, 'तुम ही उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करोगे। मैं ही उसे तुम्हें दे दूँगा, ऐसा मुल्क जिसमें कसरत का दूध और शहद है।' मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ, जिसने तुमको दीगर क्रौमों में से चुनकर अलग कर दिया है।

25 इसलिए लाज़िम है कि तुम ज़मीन पर चलनेवाले जानवरों और परिंदों में पाक और नापाक का इम्तियाज़ करो। अपने आपको नापाक जानवर खाने से काबिले-धिन न बनाना, चाहे वह ज़मीन पर चलते या रेंगते हैं, चाहे हवा में उड़ते हैं। मैं ही ने उन्हें तुम्हारे लिए नापाक करार दिया है।

26 तुम्हें मेरे लिए मखसूसो-मुक़द्दस होना है, क्योंकि मैं कुदूस हूँ, और मैंने तुम्हें दीगर क्रौमों में से चुनकर अपने लिए अलग कर लिया है।

27 तुममें से जो मुरदों से राबिता या गैबदानी करता है उसे सज़ाए-मौत देनी है, खाह औरत हो या मर्द। उन्हें संगसार करना। वह अपनी मौत के खुद ज़िम्मादार हैं।”

21

इमामों के लिए हिदायात

1 रब ने मूसा से कहा, “हारून के बेटों को जो इमाम हैं बता देना कि इमाम अपने आपको किसी इसराईली की लाश के करीब जाने से नापाक न करे

2 सिवाए अपने करीबी रिश्तेदारों के यानी माँ, बाप, बेटा, बेटी, भाई

3 और जो गैरशादीशुदा बहन उसके घर में रहती है।

4 वह अपनी क़ौम में किसी और के बाइस अपने आपको नापाक न करे, वरना उस की मुक़द्दस हालत जाती रहेगी।

5 इमाम अपने सर को न मुँडवाएँ। वह न अपनी दाढ़ी को तराशें और न काटने से अपने आपको ज़ख़मी करें।

6 वह अपने खुदा के लिए मख़सूसो-मुक़द्दस रहें और अपने खुदा के नाम को दाग़ न लगाएँ। चूँकि वह रब को जलनेवाली कुरबानियाँ यानी अपने खुदा की रोटी पेश करते हैं इसलिए लाज़िम है कि वह मुक़द्दस रहें।

7 इमाम ज़िनाकार औरत, मंदिर की कसबी या तलाक़याफ़ता औरत से शादी न करें, क्योंकि वह अपने रब के लिए मख़सूसो-मुक़द्दस हैं।

8 इमाम को मुक़द्दस समझना, क्योंकि वह तैरे खुदा की रोटी को कुरबानगाह पर चढ़ाता है। वह तैरे लिए मुक़द्दस ठहरे क्योंकि मैं रब कुद्दूस हूँ। मैं ही तुम्हें मुक़द्दस करता हूँ।

9 किसी इमाम की जो बेटी ज़िनाकारी से अपनी मुक़द्दस हालत को ख़त्म कर देती है वह अपने बाप की मुक़द्दस हालत को भी ख़त्म कर देती है। उसे जला दिया जाए।

10 इमामे-आज़म के सर पर मसह का तेल उंडेला गया है और उसे इमामे-आज़म के मुक़द्दस कपड़े पहनने का इख़्तियार दिया गया है। इसलिए वह रंज के आलम में अपने बालों को बिखरने न दे, न कभी अपने कपड़ों को फाड़े।

11 वह किसी लाश के करीब न जाए, चाहे वह उसके बाप या माँ की लाश क्यों न हो, वरना वह नापाक हो जाएगा।

12 जब तक कोई लाश उसके घर में पड़ी रहे वह मक़दिस को छोड़कर अपने घर न जाए, वरना वह मक़दिस को नापाक करेगा। क्योंकि उसे उसके ख़ुदा के तेल से मख़सूस किया गया है। मैं रब हूँ।

13 इमामे-आज़म को सिर्फ़ कुँवारी से शादी की इजाज़त है।

14 वह बेवा, तलाक़याफ़्ता औरत, मंदिर की कसबी या ज़िनाकार औरत से शादी न करे बल्कि सिर्फ़ अपने कबीले की कुँवारी से,

15 वरना उस की औलाद मख़सूसो-मुक़द्दस नहीं होगी। क्योंकि मैं रब हूँ जो उसे अपने लिए मख़सूसो-मुक़द्दस करता हूँ।”

16 रब ने मूसा से यह भी कहा,

17 “हारून को बताना कि तेरी औलाद में से कोई भी जिसके जिस्म में नुक्स हो मेरे हुज़ूर आकर अपने ख़ुदा की रोटी न चढ़ाए। यह उसूल आनेवाली नसलों के लिए भी अटल है।

18 क्योंकि कोई भी माज़ूर मेरे हुज़ूर न आए, न अंधा, न लँगड़ा, न वह जिसकी नाक चिरी हुई हो या जिसके किसी अंग में कमी बेशी हो,

19 न वह जिसका पाँव या हाथ टूटा हुआ हो,

20 न कुबड़ा, न बौना, न वह जिसकी आँख में नुक्स हो या जिसे वबाई ज़िल्दी बीमारी हो या जिसके खुसिये कुचले हुए हों।

21 हारून इमाम की कोई भी औलाद जिसके जिस्म में नुक्स हो मेरे हुज़ूर आकर रब को जलनेवाली कुरबानियाँ पेश न करे। चूँकि उसमें नुक्स है इसलिए वह मेरे हुज़ूर आकर अपने ख़ुदा की रोटी न चढ़ाए।

22 उसे अल्लाह की मुक़द्दस बल्कि मुक़द्दसतरीन कुरबानियों में से भी इमामों का हिस्सा खाने की इजाज़त है।

23 लेकिन चूँकि उसमें नुक्स है इसलिए वह मुक़द्दसतरीन कमरे के दरवाज़े के परदे के करीब न जाए, न कुरबानगाह के पास आए। वरना वह मेरी मुक़द्दस चीज़ों को नापाक करेगा। क्योंकि मैं रब हूँ जो उन्हें अपने लिए मख़सूसो-मुक़द्दस करता हूँ।”

24 मूसा ने यह हिदायात हारून, उसके बेटों और तमाम इसराइलियों को दी।

22

कुरबानी का गोश्त खाने की हिदायात

1 रब ने मूसा से कहा,

2 “हासून और उसके बेटों को बताना कि इसराईलियों की उन कुरबानियों का एहतराम करो जो तुमने मेरे लिए मखसूसो-मुकद्दस की हैं, वरना तुम मेरे नाम को दाग लगाओगे। मैं रब हूँ।

3 जो इमाम नापाक होने के बावजूद उन कुरबानियों के पास आ जाए जो इसराईलियों ने मेरे लिए मखसूसो-मुकद्दस की हैं उसे मेरे सामने से मिटाना है। यह उसूल आनेवाली नसलों के लिए भी अटल है। मैं रब हूँ।

4 हासून की औलाद में से जो भी वबाई जिल्दी बीमारी या जरयान का मरीज़ हो उसे मुकद्दस कुरबानियों में से अपना हिस्सा खाने की इजाज़त नहीं है। पहले वह पाक हो जाए। जो ऐसी कोई भी चीज़ छुए जो लाश से नापाक हो गई हो या ऐसे आदमी को छुए जिसका नुतफ़ा निकला हो वह नापाक हो जाता है।

5 वह नापाक रेंगेनेवाले जानवर या नापाक शख्स को छूने से भी नापाक हो जाता है, खाह वह किसी भी सबब से नापाक क्यों न हुआ हो।

6 जो ऐसी कोई भी चीज़ छुए वह शाम तक नापाक रहेगा। इसके अलावा लाज़िम है कि वह मुकद्दस कुरबानियों में से अपना हिस्सा खाने से पहले नहा ले।

7 सूरज के ग़रूब होने पर वह पाक होगा और मुकद्दस कुरबानियों में से अपना हिस्सा खा सकेगा। क्योंकि वह उस की रोज़ी है।

8 इमाम ऐसे जानवरों का गोश्त न खाए जो फ़ितरी तौर पर मर गए या जिन्हें जंगली जानवरों ने फाड़ डाला हो, वरना वह नापाक हो जाएगा। मैं रब हूँ।

9 इमाम मेरी हिदायात के मुताबिक चले, वरना वह कुसूरवार बन जाएंगे और मुकद्दस चीज़ों की बेहुरमती करने के सबब से मर जाएंगे। मैं रब हूँ जो उन्हें अपने लिए मखसूसो-मुकद्दस करता हूँ।

10 सिर्फ़ इमाम के खानदान के अफ़राद मुकद्दस कुरबानियों में से खा सकते हैं। ग़ैरशहरी या मज़दूर को इजाज़त नहीं है।

11 लेकिन इमाम का गुलाम या लौंडी उसमें से खा सकते हैं, चाहे उन्हें ख़रीदा गया हो या वह उसके घर में पैदा हुए हों।

12 अगर इमाम की बेटी ने किसी ऐसे शख्स से शादी की है जो इमाम नहीं है तो उसे मुकद्दस कुरबानियों में से खाने की इजाज़त नहीं है।

13 लेकिन हो सकता है कि वह बेवा या तलाक़याफ़ता हो और उसके बच्चे न हों। जब वह अपने बाप के घर लौटकर वहाँ ऐसे रहेगी जैसे अपनी जवानी में तो

वह अपने बाप के उस खाने में से खा सकती है जो कुरबानियों में से बाप का हिस्सा है। लेकिन जो इमाम के खानदान का फ़रद नहीं है उसे खाने की इजाज़त नहीं है।

14 जिस शख्स ने नादानिस्ता तौर पर मुक़द्दस कुरबानियों में से इमाम के हिस्से से कुछ खाया है वह इमाम को सब कुछ वापस करने के अलावा 20 फ़ीसद ज़्यादा दे।

15 इमाम रब को पेश की हुई कुरबानियों की मुक़द्दस हालत यों ख़त्म न करें

16 कि वह दूसरे इसराईलियों को यह मुक़द्दस चीज़ें खाने दें। ऐसी हरकत से वह उनको बड़ा कुसूरवार बना देंगे। मैं रब हूँ जो उन्हें अपने लिए मखसूसो-मुक़द्दस करता हूँ।”

जानवरों की कुरबानियों के बारे में हिदायात

17 रब ने मूसा से कहा,

18 “हास्न, उसके बेटों और इसराईलियों को बताना कि अगर तुममें से कोई इसराईली या परदेसी रब को भस्म होनेवाली कुरबानी पेश करना चाहे तो तरीक़े-कार में कोई फ़रक़ नहीं है, चाहे वह यह मन्नत मानकर या वैसे ही दिली ख़ुशी से कर रहा हो।

19 इसके लिए लाज़िम है कि तुम एक बेऐब बैल, मेंढा या बकरा पेश करो। फिर ही उसे क़बूल किया जाएगा।

20 कुरबानी के लिए कभी भी ऐसा जानवर पेश न करना जिसमें नुक्स हो, वरना तुम उसके बाइस मंज़ूर नहीं होगे।

21 अगर कोई रब को सलामती की कुरबानी पेश करना चाहे तो तरीक़े-कार में कोई फ़रक़ नहीं है, चाहे वह यह मन्नत मानकर या वैसे ही दिली ख़ुशी से कर रहा हो। इसके लिए लाज़िम है कि वह गाय-बैलों या भेड़-बकरियों में से बेऐब जानवर चुने। फिर उसे क़बूल किया जाएगा।

22 रब को ऐसे जानवर पेश न करना जो अंधे हों, जिनके आज़ा टूटे या कटे हुए हों, जिनको रसोली हो या जिन्हें वबाई ज़िल्दी बीमारी लग गई हो। रब को उन्हें जलनेवाली कुरबानी के तौर पर कुरबानगाह पर पेश न करना।

23 लेकिन जिस गाय-बैल या भेड़-बकरी के किसी अज़ु में कमी बेशी हो उसे पेश किया जा सकता है। शर्त यह है कि पेश करनेवाला उसे वैसे ही दिली ख़ुशी से चढ़ाए। अगर वह उसे अपनी मन्नत मानकर पेश करे तो वह क़बूल नहीं किया जाएगा।

24 रब को ऐसा जानवर पेश न करना जिसके खुसिये कुचले, तोड़े या कटे हुए हों। अपने मुल्क में जानवरों को इस तरह खसी न बनाना,

25 न ऐसे जानवर किसी गैरमुल्की से खरीदकर अपने खुदा की रोटी के तौर पर पेश करना। तुम ऐसे जानवरों के बाइस मंजूर नहीं होगे, क्योंकि उनमें खराबी और नुक्स है।”

26 रब ने मूसा से यह भी कहा,

27 “जब किसी गाय, भेड़ या बकरी का बच्चा पैदा होता है तो लाज़िम है कि वह पहले सात दिन अपनी माँ के पास रहे। आठवें दिन से पहले रब उसे जलनेवाली कुरबानी के तौर पर क़बूल नहीं करेगा।

28 किसी गाय, भेड़ या बकरी के बच्चे को उस की माँ समेत एक ही दिन ज़बह न करना।

29 जब तुम रब को सलामती की कोई कुरबानी चढ़ाना चाहते हो तो उसे यों पेश करना कि तुम मंजूर हो जाओ।

30 अगली सुबह तक कुछ बचा न रहे बल्कि उसे उसी दिन खाना है। मैं रब हूँ।

31 मेरे अहकाम मानो और उन पर अमल करो। मैं रब हूँ।

32 मेरे नाम को दाग न लगाना। लाज़िम है कि मुझे इसराइलियों के दरमियान कूटूस माना जाए। मैं रब हूँ जो तुम्हें अपने लिए मखसूसो-मुकद्दस करता हूँ।

33 मैं तुम्हें मिसर से निकाल लाया हूँ ताकि तुम्हारा खुदा हूँ। मैं रब हूँ।”

23

1 रब ने मूसा से कहा,

2 “इसराइलियों को बताना कि यह मेरी, रब की ईदें हैं जिन पर तुम्हें लोगों को मुकद्दस इजतिमा के लिए जमा करना है।

सबत का दिन

3 हफ़ते में छः दिन काम करना, लेकिन सातवाँ दिन हर तरह से आराम का दिन है। उस दिन मुकद्दस इजतिमा हो। जहाँ भी तुम रहते हो वहाँ काम न करना। यह दिन रब के लिए मखसूस सबत है।

फ़सह की ईद और बेखमीरी रोटी की ईद

4 यह रब की ईदें हैं जिन पर तुम्हें लोगों को मुकद्दस इजतिमा के लिए जमा करना है।

5 फ़सल की ईद पहले महीने के चौधवें दिन शुरू होती है। उस दिन सूरज के ग़रुब होने पर रब की ख़ुशी मनाई जाए।

6 अगले दिन रब की याद में बेख़मीरी रोटी की ईद शुरू होती है। सात दिन तक तुम्हारी रोटी में खमीर न हो।

7 इन सात दिनों के पहले दिन मुक़द्दस इजतिमा हो और लोग अपना हर काम छोड़ें।

8 इन सात दिनों में रोज़ाना रब को जलनेवाली कुरबानी पेश करो। सातवें दिन भी मुक़द्दस इजतिमा हो और लोग अपना हर काम छोड़ें।”

पहले पूले की ईद

9 रब ने मूसा से कहा,

10 “इसराईलियों को बताना कि जब तुम उस मुल्क में दाख़िल होगे जो मैं तुम्हें दूँगा और वहाँ अनाज की फ़सल काटोगे तो तुम्हें इमाम को पहला पूला देना है।

11 इतवार को इमाम यह पूला रब के सामने हिलाए ताकि तुम मंज़ूर हो जाओ।

12 उस दिन भेड़ का एक यकसाला बेऐब बच्चा भी रब को पेश करना। उसे कुरबानगाह पर भस्म होनेवाली कुरबानी के तौर पर चढ़ाना।

13 साथ ही गल्ला की नज़र के लिए तेल से मिलाया गया 3 किलोग्राम बेहतरीन मैदा भी पेश करना। जलनेवाली यह कुरबानी रब को पसंद है। इसके अलावा मैं की नज़र के लिए एक लिटर मै भी पेश करना।

14 पहले यह सब कुछ करो, फिर ही तुम्हें नई फ़सल के अनाज से खाने की इजाज़त होगी, खाह वह भुना हुआ हो, खाह कच्चा या रोटी की सूरत में पकाया गया हो। जहाँ भी तुम रहते हो वहाँ ऐसा ही करना है। यह उसूल अबद तक कायम रहे।

हफ़्तों की ईद यानी पंतिकुस्त

15 जिस दिन तुमने अनाज का पूला पेश किया उस दिन से पूरे सात हफ़ते गिनो।

16 पचासवें दिन यानी सातवें इतवार को रब को नए अनाज की कुरबानी चढ़ाना।

17 हर घराने की तरफ़ से रब को हिलानेवाली कुरबानी के तौर पर दो रोटियाँ पेश की जाएँ। हर रोटी के लिए 3 किलोग्राम बेहतरीन मैदा इस्तेमाल किया जाए। उनमें खमीर डालकर पकाना है। यह फ़सल की पहली पैदावार की कुरबानी हैं।

18 इन रोटियों के साथ एक जवान बैल, दो मेंढे और भेड़ के सात बेऐब और यकसाला बच्चे पेश करो। उन्हें रब के हुज़ूर भस्म होनेवाली कुरबानी के तौर

पर चढ़ाना। इसके अलावा गल्ला की नज़र और मै की नज़र भी पेश करनी है। जलनेवाली इस कुरबानी की खुशबू रब को पसंद है।

19 फिर गुनाह की कुरबानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुरबानी के लिए दो एकसाला भेड़ के बच्चे चढ़ाओ।

20 इमाम भेड़ के यह दो बच्चे मज़कूरा रोटियों समेत हिलानेवाली कुरबानी के तौर पर रब के सामने हिलाए। यह रब के लिए मखसूसो-मुकद्दस हैं और कुरबानियों में से इमाम का हिस्सा हैं।

21 उसी दिन लोगों को मुकद्दस इजतिमा के लिए जमा करो। कोई भी काम न करना। यह उसूल अबद तक कायम रहे, और इसे हर जगह मानना है।

22 कटाई के वक़्त अपनी फ़सल पूरे तौर पर न काटना बल्कि खेत के किनारों पर कुछ छोड़ देना। इस तरह जो कुछ कटाई करते वक़्त खेत में बच जाए उसे छोड़ना। बचा हुआ अनाज गरीबों और परदेसियों के लिए छोड़ देना। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।”

नए साल की ईद

23 रब ने मूसा से कहा,

24 “इसराईलियों को बताना कि सातवें महीने का पहला दिन आराम का दिन है। उस दिन मुकद्दस इजतिमा हो जिस पर याद दिलाने के लिए नरसिंगा फूँका जाए।

25 कोई भी काम न करना। रब को जलनेवाली कुरबानी पेश करना।”

कफ़फ़ारा का दिन

26 रब ने मूसा से कहा,

27 “सातवें महीने का दसवाँ दिन कफ़फ़ारा का दिन है। उस दिन मुकद्दस इजतिमा हो। अपनी जान को दुख देना और रब को जलनेवाली कुरबानी पेश करना।

28 उस दिन काम न करना, क्योंकि यह कफ़फ़ारा का दिन है, जब रब तुम्हारे खुदा के सामने तुम्हारा कफ़फ़ारा दिया जाता है।

29 जो उस दिन अपनी जान को दुख नहीं देता उसे उस की कौम में से मिटाया जाए।

30 जो उस दिन काम करता है उसे मैं उस की कौम में से निकालकर हलाक करूँगा।

31 कोई भी काम न करना। यह उसूल अबद तक कायम रहे, और इसे हर जगह मानना है।

32 यह दिन आराम का खास दिन है जिसमें तुम्हें अपनी जान को दुख देना है। इसे महीने के नवें दिन की शाम से लेकर अगली शाम तक मनाना।”

झोंपड़ियों की ईद

33 रब ने मूसा से कहा,

34 “इसराईलियों को बताना कि सातवें महीने के पंद्रहवें दिन झोंपड़ियों की ईद शुरू होती है। इसका दौरानिया सात दिन है।

35 पहले दिन मुकद्दस इजतिमा हो। इस दिन कोई काम न करना।

36 इन सात दिनों के दौरान रब को जलनेवाली कुरबानियाँ पेश करना। आठवें दिन मुकद्दस इजतिमा हो। रब को जलनेवाली कुरबानी पेश करो। इस खास इजतिमा के दिन भी काम नहीं करना है।

37 यह रब की ईदें हैं जिन पर तुम्हें मुकद्दस इजतिमा करना है ताकि रब को रोज़मर्रा की मतलूबा जलनेवाली कुरबानियाँ और मै की नज़रें पेश की जाएँ यानी भस्म होनेवाली कुरबानियाँ, ग़ल्ला की नज़रें, ज़बह की कुरबानियाँ और मै की नज़रें।

38 यह कुरबानियाँ उन कुरबानियों के अलावा हैं जो सबत के दिन चढ़ाई जाती हैं और जो तुमने हृदिये के तौर पर या मन्नत मानकर या अपनी दिली खुशी से पेश की हैं।

39 चुनौचे सातवें महीने के पंद्रहवें दिन फ़सल की कटाई के इख़िताम पर रब की यह ईद यानी झोंपड़ियों की ईद मनाओ। इसे सात दिन मनाना। पहला और आखिरी दिन आराम के दिन हैं।

40 पहले दिन अपने लिए दरख्तों के बेहतरीन फल, खजूर की डालियाँ और घने दरख्तों और सफ़ेदा की शाखें तोड़ना। सात दिन तक रब अपने खुदा के सामने खुशी मनाओ।

41 हर साल सातवें महीने में रब की खुशी में यह ईद मनाना। यह उसूल अबद तक कायम रहे।

42 ईद के हफ़ते के दौरान झोंपड़ियों में रहना। तमाम मुल्क में आबाद इसराईली ऐसा करें।

43 फिर तुम्हारी औलाद जानेगी कि इसराईलियों को मिसर से निकालते वक़्त मैंने उन्हें झोंपड़ियों में बसाया। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।”

44 मूसा ने इसराईलियों को रब की ईदों के बारे में यह बातें बताईं।

24

रब के सामने शमादान और रोटियाँ

1 रब ने मूसा से कहा,

2 “इसराईलियों को हुक्म दे कि वह तेरे पास कूटे हुए जैतूनों का खालिस तेल ले आएँ ताकि मुकद्दस कमरे के शमादान के चराग़ मुतवातिर जलते रहें।

3 हासून उन्हें मुसलसल, शाम से लेकर सुबह तक रब के हुज़ूर सँभाले यानी वहाँ जहाँ वह मुकद्दसतरीन कमरे के परदे के सामने पड़े हैं, उस परदे के सामने जिसके पीछे अहद का संदूक है। यह उसूल अबद तक कायम रहे।

4 वह खालिस सोने के शमादान पर लगे चराग़ों की देख-भाल यों करे कि यह हमेशा रब के सामने जलते रहें।

5 बारह रोटियाँ पकाना। हर रोटी के लिए 3 किलोग्राम बेहतरीन मैदा इस्तेमाल किया जाए।

6 उन्हें दो क्रतारों में रब के सामने खालिस सोने की मेज़ पर रखना।

7 हर क्रतार पर खालिस लुबान डालना। यह लुबान रोटी के लिए यादगारी की कुरबानी है जिसे बाद में रब के लिए जलाना है।

8 हर हफ़्ते को रब के सामने ताज़ा रोटियाँ इसी तरतीब से मेज़ पर रखनी हैं। यह इसराईलियों के लिए अबदी अहद की लाज़िमी शर्त है।

9 मेज़ की रोटियाँ हासून और उसके बेटों का हिस्सा हैं, और वह उन्हें मुकद्दस जगह पर खाएँ, क्योंकि वह जलनेवाली कुरबानियों का मुकद्दसतरीन हिस्सा हैं। यह अबद तक उनका हक़ रहेगा।”

अल्लाह की तौहीन, ख़ूबरेज़ी और ज़ख़मी करने की सज़ाएँ

10-11 ख़ैमागाह में एक आदमी था जिसका बाप मिसरी और माँ इसराईली थी। माँ का नाम सल्मीत था। वह दिबरी की बेटी और दान के कबीले की थी। एक दिन यह आदमी ख़ैमागाह में किसी इसराईली से झगड़ने लगा। लड़ते लड़ते उसने रब के नाम पर कुफ़र बककर उस पर लानत भेजी। यह सुनकर लोग उसे मूसा के पास ले आए।

12 वहाँ उन्होंने उसे पहरे में बिठाकर रब की हिदायत का इंतज़ार किया।

13 तब रब ने मूसा से कहा,

14 “लानत करनेवाले को खैमागाह के बाहर ले जाओ। जिन्होंने उस की यह बातें सुनी हैं वह सब अपने हाथ उसके सर पर रखें। फिर पूरी जमात उसे संगसार करे।

15 इसराईलियों से कहना कि जो भी अपने खुदा पर लानत भेजे उसे अपने कुसूर के नतीजे बरदाश्त करने पड़ेंगे।

16 जो भी रब के नाम पर कुफ़र बके उसे सज़ाए-मौत दी जाए। पूरी जमात उसे संगसार करे। जिसने रब के नाम पर कुफ़र बका हो उसे ज़रूर सज़ाए-मौत देनी है, खाह देसी हो या परदेसी।

17 जिसने किसी को मार डाला है उसे सज़ाए-मौत दी जाए।

18 जिसने किसी के जानवर को मार डाला है वह उसका मुआवज़ा दे। जान के बदले जान दी जाए।

19 अगर किसी ने किसी को ज़ख़मी कर दिया है तो वही कुछ उसके साथ किया जाए जो उसने दूसरे के साथ किया है।

20 अगर दूसरे की कोई हड्डी टूट जाए तो उस की वही हड्डी तोड़ी जाए। अगर दूसरे की आँख ज़ाया हो जाए तो उस की आँख ज़ाया कर दी जाए। अगर दूसरे का दाँत टूट जाए तो उसका वही दाँत तोड़ा जाए। जो भी ज़ख़म उसने दूसरे को पहुँचाया वही ज़ख़म उसे पहुँचाया जाए।

21 जिसने किसी जानवर को मार डाला है वह उसका मुआवज़ा दे, लेकिन जिसने किसी इनसान को मार दिया है उसे सज़ाए-मौत देनी है।

22 देसी और परदेसी के लिए तुम्हारा एक ही कानून हो। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।”

23 फिर मूसा ने इसराईलियों से बात की, और उन्होंने रब पर लानत भेजनेवाले को खैमागाह से बाहर ले जाकर उसे संगसार किया। उन्होंने वैसा ही किया जैसा रब ने मूसा को हुक्म दिया था।

25

ज़मीन के लिए सबत का साल

1 रब ने सीना पहाड़ पर मूसा से कहा,

2 “इसराईलियों को बताना कि जब तुम उस मुल्क में दाखिल होगे जो मैं तुम्हें दूँगा तो लाज़िम है कि रब की ताज़ीम में ज़मीन एक साल आराम करे।

3 छः साल के दौरान अपने खेतों में बीज बोना, अपने अंगूर के बागों की काँट-छाँट करना और उनकी फसलें जमा करना।

4 लेकिन सातवाँ साल ज़मीन के लिए आराम का साल है, रब की ताज़ीम में सबत का साल। उस साल न अपने खेतों में बीज बोना, न अपने अंगूर के बागों की काँट-छाँट करना।

5 जो अनाज ख़ुद बख़ुद उगता है उस की कटाई न करना और जो अंगूर उस साल लगते हैं उनको तोड़कर जमा न करना, क्योंकि ज़मीन को एक साल के लिए आराम करना है।

6 अलबत्ता जो भी यह ज़मीन आराम के साल में पैदा करेगी उससे तुम अपनी रोज़ाना की ज़रूरियात पूरी कर सकते हो यानी तू, तेरे गुलाम और लौडियाँ, तेरे मजदूर, तेरे ग़ैरशहरी, तेरे साथ रहनेवाले परदेसी,

7 तेरे मवेशी और तेरी ज़मीन पर रहनेवाले जंगली जानवर। जो कुछ भी यह ज़मीन पैदा करती है वह खाया जा सकता है।

बहाली का साल

8 सात सबत के साल यानी 49 साल के बाद एक और काम करना है।

9 पचासवें साल के सातवें महीने के दसवें दिन यानी कफ़फ़ारा के दिन अपने मुल्क की हर जगह नरसिंगा बजाना।

10 पचासवाँ साल मख़सूसो-मुक़द्दस करो और पूरे मुल्क में एलान करो कि तमाम बाशिंदों को आज़ाद कर दिया जाए। यह बहाली का साल हो जिसमें हर शख्स को उस की मिलकियत वापस की जाए और हर गुलाम को आज़ाद किया जाए ताकि वह अपने रिश्तेदारों के पास वापस जा सके।

11 यह पचासवाँ साल बहाली का साल हो, इसलिए न अपने खेतों में बीज बोना, न ख़ुद बख़ुद उगनेवाले अनाज की कटाई करना, और न अंगूर तोड़कर जमा करना।

12 क्योंकि यह बहाली का साल है जो तुम्हारे लिए मख़सूसो-मुक़द्दस है। रोज़ाना उतनी ही पैदावार लेना कि एक दिन की ज़रूरियात पूरी हो जाएँ।

13 बहाली के साल में हर शख्स को उस की मिलकियत वापस की जाए।

14 चुनौचे जब कभी तुम अपने किसी हमवतन भाई को ज़मीन बेचते या उससे ख़रीदते हो तो उससे नाजायज़ फ़ायदा न उठाना।

15 ज़मीन की कीमत इस हिसाब से मुक़रर की जाए कि वह अगले बहाली के साल तक कितने साल फ़सलें पैदा करेगी।

16 अगर बहुत साल रह गए हों तो उस की कीमत ज्यादा होगी, और अगर कम साल रह गए हों तो उस की कीमत कम होगी। क्योंकि उन फसलों की तादाद बिक रही है जो ज़मीन अगले बहाली के साल तक पैदा कर सकती है।

17 अपने हमवतन से नाजायज़ फ़ायदा न उठाना बल्कि रब अपने खुदा का ख़ौफ़ मानना, क्योंकि मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।

18 मेरी हिदायात पर अमल करना और मेरे अहकाम को मानकर उनके मुताबिक चलना। तब तुम अपने मुल्क में महफूज़ रहोगे।

19 ज़मीन अपनी पूरी पैदावार देगी, तुम सेर हो जाओगे और महफूज़ रहोगे।

20 हो सकता है कोई पूछे, 'हम सातवें साल में क्या खाएँगे जबकि हम बीज नहीं बोएँगे और फ़सल नहीं काटेंगे?'

21 जवाब यह है कि मैं छठे साल में ज़मीन को इतनी बरकत दूँगा कि उस साल की पैदावार तीन साल के लिए काफ़ी होगी।

22 जब तुम आठवें साल बीज बोओगे तो तुम्हारे पास छठे साल की इतनी पैदावार बाक़ी होगी कि तुम फ़सल की कटाई तक गुज़ारा कर सकोगे।

मौस्सी ज़मीन के हुक्क

23 कोई ज़मीन भी हमेशा के लिए न बेची जाए, क्योंकि मुल्क की तमाम ज़मीन मेरी ही है। तुम मेरे हुज़ूर सिर्फ़ परदेसी और ग़ैरशहरी हो।

24 मुल्क में जहाँ भी ज़मीन बिक जाए वहाँ मौस्सी मालिक का यह हक माना जाए कि वह अपनी ज़मीन वापस ख़रीद सकता है।

25 अगर तेरा कोई हमवतन भाई ग़रीब होकर अपनी कुछ ज़मीन बेचने पर मजबूर हो जाए तो लाज़िम है कि उसका सबसे करीबी रिश्तेदार उसे वापस ख़रीद ले।

26 हो सकता है कि ऐसे शख्स का कोई करीबी रिश्तेदार न हो जो उस की ज़मीन वापस ख़रीद सके, लेकिन वह खुद कुछ देर के बाद इतने पैसे जमा करता है कि वह अपनी ज़मीन वापस ख़रीद सकता है।

27 इस सूरत में वह हिसाब करे कि ख़रीदनेवाले के लिए अगले बहाली के साल तक कितने साल रह गए हैं। जितना नुक़सान ख़रीदनेवाले को ज़मीन को बहाली के साल से पहले वापस देने से पहुँचेगा उतने ही पैसे उसे देने हैं।

28 लेकिन अगर उसके पास इतने पैसे न हों तो ज़मीन अगले बहाली के साल तक खरीदनेवाले के हाथ में रहेगी। फिर उसे मौरूसी मालिक को वापस दिया जाएगा।

29 अगर किसी का घर फ़सीलदार शहर में है तो जब वह उसे बेचेगा तो अपना घर वापस खरीदने का हक़ सिर्फ़ एक साल तक रहेगा।

30 अगर पहला मालिक उसे पहले साल के अंदर अंदर न खरीदे तो वह हमेशा के लिए खरीदनेवाले की मौरूसी मिलकियत बन जाएगा। वह बहाली के साल में भी वापस नहीं किया जाएगा।

31 लेकिन जो घर ऐसी आबादी में है जिसकी फ़सील न हो वह देहात में शुमार किया जाता है। उसके मौरूसी मालिक को हक़ हासिल है कि हर वक़्त अपना घर वापस ख़रीद सके। बहाली के साल में इस घर को लाज़िमन वापस कर देना है।

32 लेकिन लावियों को यह हक़ हासिल है कि वह अपने वह घर हर वक़्त ख़रीद सकते हैं जो उनके लिए मुक़र्रर किए हुए शहरों में हैं।

33 अगर ऐसा घर किसी लावी के हाथ फ़रोख़्त किया जाए और वापस न ख़रीदा जाए तो उसे लाज़िमन बहाली के साल में वापस करना है। क्योंकि लावी के जो घर उनके मुक़र्ररा शहरों में होते हैं वह इसराईलियों में उनकी मौरूसी मिलकियत हैं।

34 लेकिन जो ज़मीनें शहरों के इर्दगिर्द मवेशी चराने के लिए मुक़र्रर हैं उन्हें बेचने की इजाज़त नहीं है। वह उनकी दायमी मिलकियत हैं।

गरीबों के लिए कर्ज़ा

35 अगर तेरा कोई हमवतन भाई गरीब हो जाए और गुज़ारा न कर सके तो उस की मदद कर। उस तरह उस की मदद करना जिस तरह परदेसी या ग़ैरशहरी की मदद करनी होती है ताकि वह तेरे साथ रहते हुए ज़िंदगी गुज़ार सके।

36 उससे किसी तरह का सूद न लेना बल्कि अपने ख़ुदा का ख़ौफ़ मानना ताकि तेरा भाई तेरे साथ ज़िंदगी गुज़ार सके।

37 अगर वह तेरा कर्ज़दार हो तो उससे सूद न लेना। इसी तरह ख़ुराक बेचते वक़्त उससे नफ़ा न लेना।

38 मैं रब तुम्हारा ख़ुदा हूँ। मैं तुम्हें इसलिए मिसर से निकाल लाया कि तुम्हें मुल्के-कनान दूँ और तुम्हारा ख़ुदा हूँ।

इसराईली गुलामों के हुक्क

39 अगर तेरा कोई इसराईली भाई गरीब होकर अपने आपको तेरे हाथ बेच डाले तो उससे गुलाम का-सा काम न कराना।

40 उसके साथ मजदूर या गैरशहरी का-सा सुलूक करना। वह तेरे लिए बहाली के साल तक काम करे।

41 फिर वह और उसके बाल-बच्चे आज़ाद होकर अपने रिश्तेदारों और मौरूसी ज़मीन के पास वापस जाएँ।

42 चूँकि इसराईली मेरे खादिम हैं जिन्हें मैं मिसर से निकाल लाया इसलिए उन्हें गुलामी में न बेचा जाए।

43 ऐसे लोगों पर सख्ती से हुक्मरानी न करना बल्कि अपने खुदा का खौफ मानना।

44 तुम पड़ोसी ममालिक से अपने लिए गुलाम और लौंडियाँ हासिल कर सकते हो।

45 जो परदेसी गैरशहरी के तौर पर तुम्हारे मुल्क में आबाद हैं उन्हें भी तुम खरीद सकते हो। उनमें वह भी शामिल हैं जो तुम्हारे मुल्क में पैदा हुए हैं। वही तुम्हारी मिलकियत बनकर

46 तुम्हारे बेटों की मीरास में आ जाएँ और वही हमेशा तुम्हारे गुलाम रहें। लेकिन अपने हमवतन भाइयों पर सख्त हुक्मरानी न करना।

47 अगर तेरे मुल्क में रहनेवाला कोई परदेसी या गैरशहरी अमीर हो जाए जबकि तेरा कोई हमवतन भाई गरीब होकर अपने आपको उस परदेसी या गैरशहरी या उसके खानदान के किसी फ़रद को बेच डाले

48 तो बिक जाने के बाद उसे आज़ादी खरीदने का हक हासिल है। कोई भाई,

49 चचा, ताया, चचा या ताया का बेटा या कोई और करीबी रिश्तेदार उसे वापस खरीद सकता है। वह खुद भी अपनी आज़ादी खरीद सकता है अगर उसके पास पैसे काफ़ी हों।

50 इस सूरत में वह अपने मालिक से मिलकर वह साल गिने जो उसके खरीदने से लेकर अगले बहाली के साल तक बाकी हैं। उस की आज़ादी के पैसे उस कीमत पर मबनी हों जो मजदूर को इतने सालों के लिए दिए जाते हैं।

51-52 जितने साल बाकी रह गए हैं उनके मुताबिक उस की बिक जाने की कीमत में से पैसे वापस कर दिए जाएँ।

53 उसके साथ साल बसाल मजदूर का-सा सुलूक किया जाए। उसका मालिक उस पर सख्त हुक्मरानी न करे।

54 अगर वह इस तरह के किसी तरीके से आज़ाद न हो जाए तो उसे और उसके बच्चों को हर हालत में अगले बहाली के साल में आज़ाद कर देना है,

55 क्योंकि इसराईली मेरे ही खादिम हैं। वह मेरे ही खादिम हैं जिन्हें मैं मिसर से निकाल लाया। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।

26

फरमाँबरदारी का अज़

1 अपने लिए बुत न बनाना। न अपने लिए देवता के मुजस्समे या पत्थर के मख़सूस किए हुए सतून खड़े करना, न सिजदा करने के लिए अपने मुल्क में ऐसे पत्थर रखना जिनमें देवता की तस्वीर कंदा की गई हो। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ।

2 सबत का दिन मनाना और मेरे मक़दिस की ताज़ीम करना। मैं रब हूँ।

3 अगर तुम मेरी हिदायात पर चलो और मेरे अहक़ाम मानकर उन पर अमल करो

4 तो मैं वक़्त पर बारिश भेजूँगा, ज़मीन अपनी पैदावार देगी और दरख़्त अपने अपने फल लाएँगे।

5 कसरत के बाइस अनाज की फ़सल की कटाई अंगूर तोड़ते वक़्त तक जारी रहेगी और अंगूर की फ़सल उस वक़्त तक तोड़ी जाएगी जब तक बीज बोने का मौसम आएगा। इतनी ख़ुराक मिलेगी कि तुम कभी भूके नहीं होगे। और तुम अपने मुल्क में महफूज़ रहोगे।

6 मैं मुल्क को अमनो-अमान बरख़ूँगा। तुम आराम से लेट जाओगे, क्योंकि किसी ख़तरे से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं वहशी जानवर मुल्क से दूर कर दूँगा, और वह तलवार की क़त्लो-ग़ारत से बचा रहेगा।

7 तुम अपने दुश्मनों पर ग़ालिब आकर उनका ताक़ुक़ब करोगे, और वह तुम्हारी तलवार से मारे जाएँगे।

8 तुम्हारे पाँच आदमी सौ दुश्मनों का पीछा करेंगे, और तुम्हारे सौ आदमी उनके दस हज़ार आदमियों को भगा देंगे। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी तलवार से मारे जाएँगे।

9 मेरी नज़रे-क़रम तुम पर होगी। मैं तुम्हारी औलाद की तादाद बढ़ाऊँगा और तुम्हारे साथ अपना अहद कायम रखूँगा।

10 एक साल इतनी फ़सल होगी कि जब अगली फ़सल की कटाई होगी तो नए अनाज के लिए जगह बनाने की ख़ातिर पुराने अनाज को फेंक देना पड़ेगा।

11 मैं तुम्हारे दरमियान अपना मसकन कायम करूँगा और तुमसे धिन नहीं खाऊँगा।

12 मैं तुममें फिरूँगा, और तुम मेरी क्रौम होगे।

13 मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ जो तुम्हें मिसर से निकाल लाया ताकि तुम्हारी गुलामी की हालत खत्म हो जाए। मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला, और अब तुम आज़ाद और सीधे होकर चल सकते हो।

फरमाँबरदार न होने की सज़ा

14 लेकिन अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे और इन तमाम अहकाम पर नहीं चलोगे,

15 अगर तुम मेरी हिदायात को रद्द करके मेरे अहकाम से धिन खाओगे और उन पर अमल न करके मेरा अहद तोड़ोगे

16 तो मैं जवाब में तुम पर अचानक दहशत तारी कर दूँगा। जिस्म को खत्म करनेवाली बीमारियों और बुखार से तुम्हारी आँखें ज़ाया हो जाएँगी और तुम्हारी जान छिन जाएगी। जब तुम बीज बोओगे तो बेफ़ायदा, क्योंकि दुश्मन उस की फ़सल खा जाएगा।

17 मैं तुम्हारे खिलाफ़ हो जाऊँगा, इसलिए तुम अपने दुश्मनों के हाथ से शिकस्त खाओगे। तुमसे नफ़रत रखनेवाले तुम पर हुक्मत करेंगे। उस वक़्त भी जब कोई तुम्हारा ताक़्क़ुब नहीं करेगा तुम भाग जाओगे।

18 अगर तुम इसके बाद भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे गुनाहों के सबब से तुम्हें सात गुना ज़्यादा सज़ा दूँगा।

19 मैं तुम्हारा सख़्त गुस्सा खाक में मिला दूँगा। तुम्हारे ऊपर आसमान लोहे जैसा और तुम्हारे नीचे ज़मीन पीतल जैसी होगी।

20 जितनी भी मेहनत करोगे वह बेफ़ायदा होगी, क्योंकि तुम्हारे खेतों में फ़सलें नहीं पकेंगी और तुम्हारे दरख़्त फल नहीं लाएँगे।

21 अगर तुम फिर भी मेरी मुख़ालफ़त करोगे और मेरी नहीं सुनोगे तो मैं इन गुनाहों के जवाब में तुम्हें इससे भी सात गुना ज़्यादा सज़ा दूँगा।

22 मैं तुम्हारे खिलाफ़ जंगली जानवर भेज दूँगा जो तुम्हारे बच्चों को फाड़ खाएँगे और तुम्हारे मवेशी बरबाद कर देंगे। आखिर में तुम्हारी तादाद इतनी कम हो जाएगी कि तुम्हारी सड़कें वीरान हो जाएँगी।

23 अगर तुम फिर भी मेरी तरबियत क़बूल न करो बल्कि मेरे मुख़ालिफ़ रहो

24 तो मैं खुद तुम्हारे खिलाफ हो जाऊँगा। इन गुनाहों के जवाब में मैं तुम्हें सात गुना ज़्यादा सज़ा दूँगा।

25 मैं तुम पर तलवार चलाकर इसका बदला लूँगा कि तुमने मेरे अहद को तोड़ा है। जब तुम अपनी हिफाज़त के लिए शहरों में भागकर जमा होगे तो मैं तुम्हारे दरमियान वबाई बीमारियाँ फैलाऊँगा और तुम्हें दुश्मनों के हाथ में दे दूँगा।

26 अनाज की इतनी कमी होगी कि दस औरतें तुम्हारी पूरी रोटी एक ही तनूर में पका सकेंगी, और वह उसे बड़ी एहतियात से तोल तोलकर तकसीम करेंगी। तुम खाकर भी भूके रहोगे।

27 अगर तुम फिर भी मेरी नहीं सुनोगे बल्कि मेरे मुखालिफ़ रहोगे

28 तो मेरा गुस्सा भड़केगा और मैं तुम्हारे खिलाफ़ होकर तुम्हारे गुनाहों के जवाब में तुम्हें सात गुना ज़्यादा सज़ा दूँगा।

29 तुम मुसीबत के बाइस अपने बेटे-बेटियों का गोशत खाओगे।

30 मैं तुम्हारी ऊँची जगहों की कुरबानगाहें और तुम्हारी बख़ूर की कुरबानगाहें बरबाद कर दूँगा। मैं तुम्हारी लाशों के ढेर तुम्हारे बेजान बुतों पर लगाऊँगा और तुमसे घिन खाऊँगा।

31 मैं तुम्हारे शहरों को खंडरात में बदलकर तुम्हारे मंदिरों को बरबाद करूँगा। तुम्हारी कुरबानियों की खुशबू मुझे पसंद नहीं आएगी।

32 मैं तुम्हारे मुल्क का सत्यानास यों करूँगा कि जो दुश्मन उसमें आबाद हो जाएंगे उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

33 मैं तुम्हें मुख्तलिफ़ ममालिक में मुंतशिर कर दूँगा, लेकिन वहाँ भी अपनी तलवार को हाथ में लिए तुम्हारा पीछा करूँगा। तुम्हारी ज़मीन वीरान होगी और तुम्हारे शहर खंडरात बन जाएंगे।

34 उस वक़्त जब तुम अपने दुश्मनों के मुल्क में रहोगे तुम्हारी ज़मीन वीरान हालत में आराम के वह साल मना सकेगी जिनसे वह महसूस रही है।

35 उन तमाम दिनों में जब वह बरबाद रहेगी उसे वह आराम मिलेगा जो उसे न मिला जब तुम मुल्क में रहते थे।

36 तुममें से जो बचकर अपने दुश्मनों के ममालिक में रहेंगे उनके दिलों पर मैं दहशत तारी करूँगा। वह हवा के झोंकों से गिरनेवाले पत्ते की आवाज़ से चौंककर भाग जाएंगे। वह फ़रार होंगे गोया कोई हाथ में तलवार लिए उनका ताक़्क़ुब कर रहा हो। और वह गिरकर मर जाएंगे हालाँकि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा होगा।

37 वह एक दूसरे से टकराकर लड़खड़ाएँगे गोया कोई तलवार लेकर उनके पीछे चल रहा हो हालाँकि कोई नहीं है। चुनौचे तुम अपने दुश्मनों का सामना नहीं कर सकोगे।

38 तुम दीगर कौमों में मुंतशिर होकर हलाक हो जाओगे, और तुम्हारे दुश्मनों की ज़मीन तुम्हें हड़प कर लेगी।

39 तुममें से बाक़ी लोग अपने और अपने बापदादा के कुसूर के बाइस अपने दुश्मनों के ममालिक में गल-सड़ जाएंगे।

40 लेकिन एक वक़्त आएगा कि वह अपने और अपने बापदादा का कुसूर मान लेंगे। वह मेरे साथ अपनी बेवफ़ाई और वह मुख़ालफ़त तसलीम करेंगे

41 जिसके सबब से मैं उनके खिलाफ़ हुआ और उन्हें उनके दुश्मनों के मुल्क में धकेल दिया था। पहले उनका खतना सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर हुआ था, लेकिन अब उनका दिल आजिज़ हो जाएगा और वह अपने कुसूर की क़ीमत अदा करेंगे।

42 फिर मैं इब्राहीम के साथ अपना अहद, इसहाक के साथ अपना अहद और याक़ूब के साथ अपना अहद याद करूँगा। मैं मुल्के-कनान भी याद करूँगा।

43 लेकिन पहले वह ज़मीन को छोड़ेंगे ताकि वह उनकी ग़ैरमौजूदगी में वीरान होकर आराम के साल मनाए। यों इसराईली अपने कुसूर के नतीजे भुगतेंगे, इस सबब से कि उन्होंने मेरे अहक़ाम रद्द किए और मेरी हिदायात से धिन खाई।

44 इसके बावजूद भी मैं उन्हें दुश्मनों के मुल्क में छोड़कर रद्द नहीं करूँगा, न यहाँ तक उनसे धिन खाऊँगा कि वह बिल्कुल तबाह हो जाएँ। क्योंकि मैं उनके साथ अपना अहद नहीं तोड़ने का। मैं रब उनका ख़ुदा हूँ।

45 मैं उनकी ख़ातिर उनके बापदादा के साथ बँधा हुआ अहद याद करूँगा, उन लोगों के साथ अहद जिन्हें मैं दूसरी कौमों के देखते देखते मिसर से निकाल लाया ताकि उनका ख़ुदा हूँ। मैं रब हूँ।”

46 रब ने मूसा को इसराईलियों के लिए यह तमाम हिदायात और अहक़ाम सीना पहाड़ पर दिए।

27

मख़सूस की हुई चीज़ों की वापसी

1 रब ने मूसा से कहा,

2 “इसराईलियों को बताना कि अगर किसी ने मन्नत मानकर किसी को रब के लिए मखसूस किया हो तो वह उसे जैल की रकम देकर आजाद कर सकता है (मुस्तामल सिक्के मक़दिस के सिक्कों के बराबर हों) :

3 उस आदमी के लिए जिसकी उम्र 20 और 60 साल के दरमियान है चाँदी के 50 सिक्के,

4 इसी उम्र की औरत के लिए चाँदी के 30 सिक्के,

5 उस लड़के के लिए जिसकी उम्र 5 और 20 साल के दरमियान हो चाँदी के 20 सिक्के, इसी उम्र की लड़की के लिए चाँदी के 10 सिक्के,

6 एक माह से लेकर 5 साल तक के लड़के के लिए चाँदी के 5 सिक्के, इसी उम्र की लड़की के लिए चाँदी के 3 सिक्के,

7 साठ साल से बड़े आदमी के लिए चाँदी के 15 सिक्के और इसी उम्र की औरत के लिए चाँदी के 10 सिक्के।

8 अगर मन्नत माननेवाला मुक़र्ररा रकम अदा न कर सके तो वह मखसूस किए हुए शख्स को इमाम के पास ले आए। फिर इमाम ऐसी रकम मुक़र्रर करे जो मन्नत माननेवाला अदा कर सके।

9 अगर किसी ने मन्नत मानकर ऐसा जानवर मखसूस किया जो रब की क़ुरबानियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो ऐसा जानवर मखसूसो-मुक़द़स हो जाता है।

10 वह उसे बदल नहीं सकता। न वह अच्छे जानवर की जगह नाक़िस, न नाक़िस जानवर की जगह अच्छा जानवर दे। अगर वह एक जानवर दूसरे की जगह दे तो दोनों मखसूसो-मुक़द़स हो जाते हैं।

11 अगर किसी ने मन्नत मानकर कोई नापाक जानवर मखसूस किया जो रब की क़ुरबानियों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता तो वह उसको इमाम के पास ले आए।

12 इमाम उस की रकम उस की अच्छी और बुरी सिफ़्तों का लिहाज़ करके मुक़र्रर करे। इस मुक़र्ररा कीमत में कमी बेशी नहीं हो सकती।

13 अगर मन्नत माननेवाला उसे वापस ख़रीदना चाहे तो वह मुक़र्ररा कीमत जमा 20 फ़ीसद अदा करे।

14 अगर कोई अपना घर रब के लिए मखसूसो-मुक़द़स करे तो इमाम उस की अच्छी और बुरी सिफ़्तों का लिहाज़ करके उस की रकम मुक़र्रर करे। इस मुक़र्ररा कीमत में कमी बेशी नहीं हो सकती।

15 अगर घर को मखसूस करनेवाला उसे वापस खरीदना चाहे तो वह मुकर्ररा रकम जमा 20 फीसद अदा करे।

16 अगर कोई अपनी मौरूसी ज़मीन में से कुछ रब के लिए मखसूसो-मुकद्दस करे तो उस की क़ीमत उस बीज की मिक्दर के मुताबिक मुकर्रर की जाए जो उसमें बोना होता है। जिस खेत में 135 किलोग्राम जौ का बीज बोया जाए उस की क़ीमत चाँदी के 50 सिक्के होगी।

17 शर्त यह है कि वह अपनी ज़मीन बहाली के साल के ऐन बाद मखसूस करे। फिर उस की यही क़ीमत मुकर्रर की जाए।

18 अगर ज़मीन का मालिक उसे बहाली के साल के कुछ देर बाद मखसूस करे तो इमाम अगले बहाली के साल तक रहनेवाले सालों के मुताबिक ज़मीन की क़ीमत मुकर्रर करे। जितने कम साल बाक़ी हैं उतनी कम उस की क़ीमत होगी।

19 अगर मखसूस करनेवाला अपनी ज़मीन वापस खरीदना चाहे तो वह मुकर्ररा क़ीमत जमा 20 फीसद अदा करे।

20 अगर मखसूस करनेवाला अपनी ज़मीन को रब से वापस खरीदे बग़ैर उसे किसी और को बेचे तो उसे वापस खरीदने का हक़ ख़त्म हो जाएगा।

21 अगले बहाली के साल यह ज़मीन मखसूसो-मुकद्दस रहेगी और रब की दायमी मिलकियत हो जाएगी। चुनाँचे वह इमाम की मिलकियत होगी।

22 अगर कोई अपना मौरूसी खेत नहीं बल्कि अपना खरीदा हुआ खेत रब के लिए मखसूस करे

23 तो इमाम अगले बहाली के साल तक रहनेवाले सालों का लिहाज़ करके उस की क़ीमत मुकर्रर करे। खेत का मालिक उसी दिन उसके पैसे अदा करे। यह पैसे रब के लिए मखसूसो-मुकद्दस होंगे।

24 बहाली के साल में यह खेत उस शख्स के पास वापस आएगा जिसने उसे बेचा था।

25 वापस खरीदने के लिए मुस्तामल सिक्के मक़दिस के सिक्कों के बराबर हों। उसके चाँदी के सिक्कों का वज़न 11 ग्राम है।

26 लेकिन कोई भी किसी मवेशी का पहलौठा रब के लिए मखसूस नहीं कर सकता। वह तो पहले से रब के लिए मखसूस है। इसमें कोई फ़रक़ नहीं कि वह गाय, बैल या भेड़ हो।

27 अगर उसने कोई नापाक जानवर मखसूस किया हो तो वह उसे मुकर्ररा क्रीमत जमा 20 फ्रीसद के लिए वापस खरीद सकता है। अगर वह उसे वापस न खरीदे तो वह मुकर्ररा क्रीमत के लिए बेचा जाए।

28 लेकिन अगर किसी ने अपनी मिलकियत में से कुछ गैरमशरूत तौर पर रब के लिए मखसूस किया है तो उसे बेचा या वापस नहीं खरीदा जा सकता, खाह वह इनसान, जानवर या ज़मीन हो। जो इस तरह मखसूस किया गया हो वह रब के लिए निहायत मुकद्दस है।

29 इसी तरह जिस शख्स को तबाही के लिए मखसूस किया गया है उसका फ़िघा नहीं दिया जा सकता। लाज़िम है कि उसे सज़ाए-मौत दी जाए।

30 हर फ़सल का दसवाँ हिस्सा रब का है, चाहे वह अनाज हो या फल। वह रब के लिए मखसूसो-मुकद्दस है।

31 अगर कोई अपनी फ़सल का दसवाँ हिस्सा छुड़ाना चाहता है तो वह इसके लिए उस की मुकर्ररा क्रीमत जमा 20 फ्रीसद दे।

32 इसी तरह गाय-बैलों और भेड़-बकरियों का दसवाँ हिस्सा भी रब के लिए मखसूसो-मुकद्दस है, हर दसवाँ जानवर जो गल्लाबान के डंडे के नीचे से गुज़रेगा।

33 यह जानवर चुनने से पहले उनका मुआयना न किया जाए कि कौन-से जानवर अच्छे या कमज़ोर हैं। यह भी न करना कि दसवें हिस्से के किसी जानवर के बदले कोई और जानवर दिया जाए। अगर फिर भी उसे बदला जाए तो दोनों जानवर रब के लिए मखसूसो-मुकद्दस होंगे। और उन्हें वापस खरीदा नहीं जा सकता।”

34 यह वह अहकाम हैं जो रब ने सीना पहाड़ पर मूसा को इसराईलियों के लिए दिए।

किताबे-मुकद्दस

**The Holy Bible in the Urdu language, Urdu Geo
Version, Hindi Script**

Copyright © 2019 Urdu Geo Version

Language: उर्दू (Urdu)

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2024-09-20

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 1 Jul 2025 from source files dated 20 Sep 2024

a1ee0020-7263-5fce-8289-9d7a7ac2d299